रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2001/फाल्गुन 9, 1922
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2001/PHALGUNA 9, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2001

समापन आदेश

विषय :—यूएसए, सिंगापुर और नीदरलैंड से आइसो-प्रोपाइल एलकोहल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 12/1/2000-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम 1995 को ध्यान में रखते हुए :

(क) **प्रक्रिया**

2. जांच के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई गई है:—

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को नियमों के अंतर्गत मै. नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मै. नोसिल), की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यू एस ए, सिंगापुर और नीदरलैंड (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है), के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोप्रोपाइल के पाटन का आरोप लगाया गया है ।

(ii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण के आधार पर संबद्ध देशों से आइसोप्रोपाइल एलकोहल के आयातों के खिलाफ जांच शुरु करने का निर्णय लिया । प्राधिकारी ने उक्त नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरु करने से पहले पाटन के आरोप की प्राप्ति के विषय में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया ।

(iii) प्राधिकारी ने 12 जून, 2000 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसके द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोप्रोपाइल एलकोहल, जो सीमाशुल्क टैरिफ, अधिनियम 1975 की अनुसूची- I उपशीर्ष 2905-1201 के अंतर्गत वर्गीकृत है, के आयातों के संबंध में जांच शुरु की गई ।

(iv) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात सभी नियातकों (जिनका विवरण याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाया गया था) और उद्योग संगठनों को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें लिखित रुप में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया ।

(v) प्राधिकारी ने भारत में आइसो प्रोपाइल एलकोहल के ज्ञात सभी आयातकों को सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें सलाह दी कि पत्र मिलने के चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं ।

(vi) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से भी अनुरोध किया गया कि जांच की अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में किए गए आइसो प्रोपाइल एलकोहल के आयातों के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

(vii) प्राधिकारी ने उक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका के अगोपनीय अंश की प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और दूतावासों को उपलब्ध कराई ;

(viii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्त्ता द्वारा यथा इंगित यूएसए, सिंगापुर और नीदरलैंड के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी;

यूएसए

- मै0 एक्सोन कैमिकल कंपनी

ह्यौस्टन, यूएसए

सिंगापुर

- मै0 शैल ईस्टर्न कैमिकल्स (सिंगापुर)

नीदरलैंड

- मै0 शैल नेडरलैंड कैमी बीवी आफ नीदरलैंडस

(ix)प्रश्नावली का उत्तर मै0 एक्सोन, यूएसए, मै0 शैल नेडरलैंड कैमी बी.बी. नीदरलैंड, शैल इंडिया प्रा0 लि0, इंडिया और मै0 शैल ईस्टर्न कैमिकल्स(एस) सिंगापुर से प्राप्त हुआ था । अन्य किसी निर्यातक द्वारा प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया गया ।

(x) संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरु करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए कहें । निर्यातकों को भेज गए पत्र,

अगोपनीय याचिका और प्रश्नावली की प्रति ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित दूतावासों को भी भेजी गई थी ;

(xi) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में आइसोप्रोपाइल एलकोहल के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/थोक डीलरों को प्रश्नावली भेजी गई थी:

- मै0 एल्काइल एमिन्स कैमिकल्स लि0, मुम्बई
- मै0 आरती ड्रग्स लि0, मुम्बई
- मै0 कोट्स ऑफ इंडिया लि0, मुम्बई
- मै0 फिनोलेक्स एसेक्स, गोवा
- लुब्रिजोन इंडिया लि0, मुम्बई
- आइ पी सी ए लेबोरेटरीज लि0, मुम्बई
- कोपरान ड्रग्स लि0, मुम्बई
- थेमिस कैमिकल्स लि0, मुम्बई
- गुडलास नेरोलैक पेन्टस लि0, मुम्बई
- हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइडस लि0, नई दिल्ली
- रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लि0, नई दिल्ली
- आइ सी आइ नाइट्रोसेलुलोस बेजनेस, गुडगांव
- अरविन्दो फार्मा लि0, हैदराबाद
- कैमिनोर ड्रग्स लि0, हैदराबाद

- डा0 रेड्डीज लेबोरेटरीज, हैदराबाद
- मै0 हेटेरो ड्रग्स लि0, मेडक
- मै0 प्रभु इंक्स पोडानुर
- मै0 सुदर्शन ड्रग्स यलि0, हैदराबाद
- शासुन कैमिकल्स एण्ड ड्रग्स लि0, मद्रास
- मै0 दौराला आर्गेनिक्स लि0

तथापि आइ पी ए के निम्नलिखित आयातकों द्वारा उत्तर दायर किया गया था:

- मै0 एलकाइल एमिन्स कैमिकल्स लि0, मुम्बई
- मै0 शासुन कैमिकल्स एण्ड ड्रग्स लि0, चेन्नई
- मै0 दौराला आगेनिक्स

(xii) क्षति के संबंध में याचिकाकर्त्ता से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी वह भी प्राप्त हो गई थी ;

(xiii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रुप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा ;

(xiv) **** यह चिह्न इस अधिसूचना में किसी याचिकाकर्त्ता द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना को प्रदर्शित करता है और प्राधिकारी द्वारा उसे नियमों के तहेत ऐसा ही माना गया है ।

(xv) यह जांच 1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर, 1999 तक की अवधि के लिए की गई थी ।

ख. **घरेलू उद्योग की स्थिति पर उठाया गया मुद्दा**

3. मै0 एक्सोर केमिकल इन्टरनेशनल सर्विस लि0, हांगकांग(ईसीआईएस) तथा एक्शन मोबिल केमिकल कं0, (ईएमसीसी) के विचार

(i) मामले को शुरु करने के बाद मै0 एक्सोन कैमिकल्स लि0 ने एक मुख्य मुद्दा उठाया कि घरेलू उद्योग मै0 नोसिल का एक निर्यातक मै0 शैल के साथ संबंध है क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले 1998 में अलग होने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे । मै0 एक्सोन ने आगे बताया है कि पाटनरोधी नियमों की धारा 2 (ख) के अनुसार मै0 नोसिल 'घरेलू उद्योग' की परिभाषा के अंतर्गत घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाए और इस प्रकार याचिका को रद्द कर देना चाहिए और जांच की कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिए । मै0 एक्सोन द्वारा उठाए गए मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं : -

- मै0 शैल अपने पैट्रो कैमिकल व्यापार के लिए मै0 नोसिल के साथ 49 % इक्विटी रखकर साझेदारी पर सहमत हुआ है जिसमें जांच के अंतर्गत उत्पाद का विनिर्माण भी शामिल है ;
- मै0 नोसिल और मै0 शैल ने 1998 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ।
- मै0 नोसिल के बोर्ड ने प्रबंधन की एक योजना का अनुमोदन किया है जिसके फलस्वरुप कंपनी को तीन भागों में बांटा जाना है । कंपनी के पैट्रोकैमिकल और पोलीमर प्रभागों से संबंधित सभी परिसंपतियां और देनदारियां बंट जाएंगी और एक चालू फर्म मै0 नोसिल पैट्रोकैमिकल्स लि0 (एनपीएल) में निहित हो जाएंगी जबकि रबड कैमिकल्स प्रभाग से संबंधित परिसम्पतियां तथा देनदारियां भी बंट जाएंगी और वे एक चालू फर्म पोलिओलिकिल रबड़ कैमिकल्स लि0 (पीआरसीएल) में निहित हो जाएंगी । प्लास्टिक उत्पाद प्रभाग सहायक कंपनियों के साथ और कुछ निवेश मै0 नोसिल के साथ बने रहेंगे, जिसकी प्रदत्त इक्विटी पूंजी तदनुरुप घटाई जाएगी ।

- मै0 नोसिल द्वारा जांच अवधि के दौरान कार्यबल और प्रबंधन में कमी करने के मै0 शैल के निवेदन को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।
- जांच अवधि के दौरान पैटोकैमिकल इकाई को बांटने की योजना पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।
- मै0 शैल के प्रबंधकों की एक टीम समझौता ज्ञापन और इसकी परियोजना के कार्यप्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है ।
- याचिकाकर्त्ता ने वर्तमान याचिका मै0 शैल कैमिकल्स लि0 के अनुरोध पर दायर की है ताकि आइ पी ए के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सके और मै0 एक्सोन को भारतीय बाजार से बाहर किया जा सके ।
- याचिकाकर्त्ता ने पाटनरोधी शुल्क का फायदा लेने के लिए प्राधिकारी के समक्ष जानबूझकर वास्तविक तथ्य छिपाए हैं ।
- मै0 नोसिल ने उपरोक्त स्कीम के अनुमोदन के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया है ।
- मे0 नोसिल ने फायदा लेने के लिए याचिका दायर करते समय उक्त समझौता ज्ञापन के तथ्यों को जानबूझकर छिपाया ।

ii) चूंकि यह मामला बहुत संवेदनशील था इसलिए मै0 एक्सोन द्वारा उठाए गए संबंधों के मुद्दे पर ही विचार करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षों के साथ 25 अगस्त, 2000 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की गई । याचिकाकर्त्ता के प्रतिनिधि और निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए तथा बाद में प्रत्युत्तर भेजे । प्राधिकारी ने

याचिकाकर्त्ता के साथ-साथ निर्यातकों से अपने विचारों और प्रत्युत्तरों को प्रमाणित करने के लिए आगे और स्पस्टीकरण/साक्ष्य मांगे हैं । मै0 एक्सोन ने निदेशालय को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत कर दी है । याचिकाकर्त्ता और मै0 शैल नेडरलैंड ने प्राधिकारी के समक्ष संगत कागजात प्रस्तुत नहीं किए। याचिकाकर्त्ता को दिनांक 04.10.2000 को पत्र जारी किया गया था और बाद में दिनांक 24.10.2000, 17.11.2000, 23.11.2000 और 24.11.2000 को अनुस्मारक भेजे गए थे । जिनमें 28 नवम्बर, 2000 तक सभी संगत कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

iii) मै0 नोसिल ने दिनांक 03.11.00 के अपने पत्र द्वारा प्राधिकारी द्वारा मांगे गए केवल कुछ ही कागजात उपलब्ध कराए हैं और उन्होंने अलग होने की स्कीम के अनुमोदन के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में दायर की गई अलग होने से संबंधित याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं कराई है । यह दस्तावेज इस निर्णय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या याचिकाकर्त्ता निर्यातक से संबंधित है अथवा नहीं । बार-बार मौखिक एवं लिखित अनुरोध करने के बावजूद मै0 नोसिल ने उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया । याचिकाकर्त्ता को एक अन्तिम अवसर दिया गया जिसमें अपूर्ण सूचना/कागजातों प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ दिनांक 3 नवम्बर, 2000 के उनके उस पत्र पर टिप्पणी प्रस्तुत करने का भी मौका दिया गयाक जिसमें उसने बताया था कि आज की स्थिति के अनुसार समझौता ज्ञापन समाप्त हो गया है और यह आज प्रभावी नहीं है । इस प्रकार मै0 शैल और मै0 नोसिल के बीच आरोपित संबंध जोकि अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकाश में लाया गया था, असंगत है और स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । मै0 नोसिल ने उपरोक्त पत्र के साथ पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जो कि प्राधिकारी ने अपने पहले के पत्रों/अनुस्मारकों के द्वारा मांगी थी ।

उपरोक्त घटनाक्रम और मै0 एक्सोन, द्वारा प्रस्तुत कि गई सूचना को देखते हुए मै0 नोसिल को इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी कि 30 सितम्बर 1998 का समझौता ज्ञापन अब अस्तित्व में नहीं है ।

iv) प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता को उनके दिनांक 3 नवम्बर, 2000 के पत्र में दिए गए उनके विवरण को देखते हुए सभी कागजात/सूचना दायर करने की सलाह दी थी, जो याचिकाकर्त्ता के संबंधों के मामले में किसी निष्कर्ष पर पंहुचने के लिए बहुत निर्णायक थे । इसके अलावा प्राधिकारी ने मै0 नोसिल को इस आशय का एक शपथपत्र दायर करने की सलाह दी कि हिस्सेदारी का कोई करार नहीं किया गया है और इस प्रकार का कोई समझौता ज्ञापन आज अस्तित्व में नहीं है ।

v) मै0 नोसिल- दिनांक 24.11.2000 के अपने पत्र द्वारा अतिरिक्त सूचना देने में असफल रहा जो कि प्राधिकारी ने अपने पूर्ववर्ती पत्रों/अनुस्मारकों के द्वारा मांगी थी । तथापि, मै0 नोसिल ने एक बार फिर दोहराया कि प्राधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज नहीं मांग गए थे और उक्त समझौता ज्ञापन के संबंध में हमारी कंपनी द्वारा उठाए गए कदम प्राधिकारी द्वारा की जा रही वर्तमान जांच की संगतता में हैं ।

vi) मै0 नोसिल ने आगे बताया है कि उक्त समझौता ज्ञापन, बोर्ड आफ डायरेक्टर और कंपनी के शेयर धारकों के साथ-साथ बम्बई उच्च न्यायालय में कंपनी द्वारा दायर याचिका, सभी पैट्रोकैमिकल विजनेस के विस्तार और भविष्य के निर्माण से संबंधित हैं और आज से 4-5 वर्षों से पहले इस कार्य के सम्पन्न होने की संभावना नहीं है । उन्होंने यह भी बताया है कि यह मामला कंपनी द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा व्यापार के संबंध में राहत चाहने की दृष्टि से कंपनी द्वारा शुरु किया गया था जिसे प्रतिवादियों द्वारा किऐ गए निर्यातों के कारण परेशानी हो रही है और इस

प्रयकार जिन घटनाओं के घटने की संभावना है और जो अनेक पूर्व शर्तों पर आधारित हैं उनका वर्तमान जांच से कोई संबंध नहीं है ।

vii) उन्होंने पुनः अनुरोध किया है कि याचिकाकर्त्ता ने अपने व्यापार का बंटवारा नहीं किया है और वह एकल इकाई के रुप में अपने कार्य को जारी रखे हुए है । उन्होंने यह भी कहा है कि भावी घटनाएं (जो किसी आपातकालीन स्थिति में हो सकती है) इस जांच अवधि में घरेलू उद्योगे की स्थिति तय नहीं कर सकती हैं । आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि मै0 शैल ग्रुप की किसी भी कंपनी की मौजूदा कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है और न ही उनंका मौजूदा कंपनी के ऊपर प्रबंधकीय नियंत्रण है । जो आइ पी ए के पाटन के कारण नुकसान उठा रही है ।

viii) मै0 नोसिल ने अनुरोध किया है कि प्रतिवादी इस जांच में कतिपय गलत और असंगत तथ्यों को शामिल करके प्राधिकारी को जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन पर लगाए जा रहे पाटनरोधी आदेशों से बचा जा सके ।

ix) अंत में उन्होंने कहा है कि दिनांक 24.11.2000 को उपरोक्त अनुरोध प्रस्तुत करते समय दिनांक 11 सितम्बर 2000 को प्रस्तुत किए गए उनके पत्र में विहित पूर्ववर्ती अनुरोधों के प्रति तथा ऐसे अन्य अनुरोधों के प्रति उनका कोई पूर्वाग्रह नहीं रहा है जो इनमें किए गए अनुरोधों के विपरीत हैं ।

x) याचिकाकर्त्ता के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों के साथ केवल " संबंधों के मुद्दे" पर आगे एक सुनवाई और आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि याचिकाकर्त्ता को अपनी सभी सूचनाएं/अनुरोधों को प्रस्तुत करने का एक अंतिम मौका दिया जा सके। तदनुसार, केवल संबंधों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 20 दिसम्बर, 2000 को एक मौखिक

सुनवाई आयोजित की गई थी । मै0 नोसिल (याचिकाकर्त्ता) मै0 एक्सोन कैमिकल्स और मै0 शैल (निर्यातक) ने अपने अनुरोध और प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए थे । अनुरोधों और प्रत्युत्तरों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

4. **संबंधों के मुद्दे पर मै0 नोसिल (याचिकाकर्त्ता) के विचार**

(i) संदर्भाधीन प्रश्न निर्यातकों की पहचान पर विचार किए बिना कथित तीन देशों से किए गए सभी आयातों के बारे में है, जो स्वयं यह स्थापित करती है कि मै0 नोसिल का मै0 शैल से संबंध नहीं है ।

ii) यह जांच शुरु करने से पहले प्राधिकारी के पास पाटन के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध थे और मै0 एक्सोन इस तथ्य से पूर्ण रुप से अवगत है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी जांच की जाती है तो इसका एकमात्र संभव निष्कर्ष भारत को किए गए इसके निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना ही हो सकता है । इस प्रकार वे यह कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान पाटनरोधी जांच शुरु में ही समाप्त कर दी जाए ।

iii) प्राधिकारी यदि इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि किसी प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर पाटन होने और उससे क्षति होने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं तो उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(4) के तहत स्वतः जांच शुरु करने के लिए अधिकृत किया गया है । जो व्यक्ति प्राधिकारी के ध्यान में इन तथ्यों को लाता है उसकी पहचान करना कोई महत्वपूर्ण अथवा परिणामी नहीं है इसलिए के रुप में मै0 नोसिल के दावे का मुद्दा पूर्ण रुप से महत्वहीन और अप्रसांगिक हो जाता है ।

मौजूदा मामला वास्तव में स्वतः जॉच शुरू करने के लिए एक काफी ठोस मामला है और इस संबंध में प्राधिकारी के पास पहले से पर्याप्त और विस्तृत सामग्री, तथ्य और आंकड़े हैं । इसलिए, अगर याचिकाकर्त्ता को नियम 2(ख) के अनुसार तकनीकी रूप से किसी विदेशी निर्यातक के साथ् संबद्ध पाया जाता है तो प्राधिकारी अपने विवेकानुसार इस एकक को अब भी घरेलू उद्योग मान सकते हैं ।

(iv) समझौता ज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मै0 नोसिल का नियंत्रण मै0 शैल को देने के बारे में विचार किया जाए । अलग-अलग कम्पनियॉ बन जाने से मै0 सैल का केवल नई कम्पनी पर ही नियंत्रण होगा । उन्होंने अनुरोध किया है कि नियम 2(ख) की परिभाषा के अधीन सम्बन्ध के प्रश्न पर जॉच अवधि के दौरान विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में और याचिका को जब प्रस्तुत किया गया था उस के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए न कि उन तथयो और परिस्थितियों के आधार पर जोकि इसके काफी बाद अस्तित्व में आई हैं ।

समझौता ज्ञापन विभिन्न शर्त्तों/पूर्वोदाहरणों के भी अधीन है जिन्हें समझौता ज्ञापन के लागू होने से पहले पूरा किया जाना है । प्रथम और मूल पूर्ववत्ती शर्त्त यह है कि बम्बई उच्च न्यायालय को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत प्रबंधन की योजना स्वीकृत करनी चाहिए । इसके अलावा विभिन्न सरकारी/नियामक प्राधिकरणों से कई प्रकार के अनुमोदन/स्वीकृति/राय इत्यादि ली जानी हैं । वर्तमान में इन सभी उल्लिखित पूर्ववर्त्ती शर्त्तों का अभी तक पूरा नहीं किया गया हैं ।

(v) रोयलडच/सैल ग्रुप दोनों कम्पनियों के निदेशक मंडल ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी हैं ।

(vi) समझौता ज्ञापन तकनीकी रूप से 30.9.2000 को समाप्त हो गया है और इस पर वार्ता जारी है । मै0 एक्सोन का आरोप है कि मै0 सैल कम्पनी बम्बई के ऐसे दो कर्मचारी हैं जो कम्पनी को बांटने की योजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाने में कार्यरत हैं । ये दोनों कर्मचारी सैल में नियुक्त हैं और इनका मै0 नोसिल के प्रबंधन/संचालन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है । वीआरएस के दावे पर मै0 नोसिल ने कहा है कि उक्त वीआरएस मै0 नोसिल द्वारा स्वतः लिया गया एक प्रबंधन निर्णय था और यह निश्चित रूप से न तो किसी तीसरी पार्टी की ओर से और न ही सैल का निर्णय था ।

(vii) इस तथ्य के लिए कि मै0 नोसिल और मै0 सैल आपस में सम्बद्ध नहीं हैं, सर्वोत्तम प्रमाण और स्पष्टतम निर्देशन यह है कि सैल मै0 नोसिल को अपने विरूद्ध पाटनरोधी शिकायत दर्ज करने से रोकने में असमर्थ रहा है और इसके अलावा मै0 नोसिल सिंगापुर की मै0 सैल और निदरलैंड की सैल कम्पनी को वस्तुओं का पाटन करने से रोकने में असमर्थ रहा है जिसके कारण मै0 नोसिल को क्षति हुई है और मै0 नोसिल इन कम्पनियों को शिकायत का विरोध करने से भी नही रोक पाया है ।

(viii) मै0 एक्सोन का यह दावा कि मै0 सैल कानूनी या परिचालनात्मक रूप से मै0 नोसिल पर नियंत्रण या निर्देशन की स्थिति में है, कम्पनी अधिनियम की धारा 291 के तहत

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के सीधे ही विपरीत है जिसके तहत किसी भारतीय कम्पनी के विनियमन/प्रबंधन/नियंत्रण का अधिकार उसके निदेशक मंडल को होता है । मौजूदा मामले में, मै0 सैल का निदेशक मंडल में किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही उसकी मै0 नोसिल में कोई शेयरधारिता संबंधी रूचि है ।

(ix) मै0 एक्सोन का जो यह वादा है कि मै0 नोसिल ने उक्त समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए अनेकों कदम उठाए थे यह स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है कि मै0 नोसिल ने अपने पेट्रोकेमिकल विभाग को मै0 सैल से अलग करने तथा अपने उक्त् विभाग को नवगठित कम्पनी में शामिल करने हेतु मै0 सैल के साथ करार किया है । उक्त करार की एक पार्टी के रूप में मै0 नोसिल उक्त करार को लागू करने व उसे प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने व कार्रवाई करने के लिए बाध्य था ।

(x) मै0 एक्सोन का यह दावा है कि दिनांक 30.9.98 के उक्त समझौता ज्ञापन को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका था । यह मानना न केवल गलत है अपितु यह समझौता ज्ञापन के विपरीत और उसकी शर्त्तों के अनुसार भी गलत है और प्रबंधन संबंधी योजना भी पूर्ण रूप से यह स्पष्ट करती है कि अनेकों ऐसी पूर्ववत्ती शर्तें हैं जिन्हें योजना को लागू मान लिए जाने से पूर्व अभी पूरा किया जाना है ।

(xi) उपरोक्त इस आशय के मूल अनुरोधों के प्रति बिल्कुल ही पक्षपात किए बिना कि मै0 नोसिल बैकल्पिक रूप में और शिकायतकर्त्ता के रूप में मै0 सैल से संबंधित नहीं है, यह निवेदन है कि यदि नोसिल को वास्तव में मै0 सैल से संबंधित माना जाता है तो मै0 नोसिल को घरेलू उद्योग से अलग करने के लिए कोई औचित्य अथवा न्यायसंगत नहीं होगा क्योंकि नियमों में संशोधन किया जा चुका है । याचिकाकर्त्ता ने अपनी टिप्पणियों के साथ पाटनरोधी कानूनों के कतिपय कानूनी अंश भी उद्धत किए हैं ।

(xii) मै0 एक्सोन के वकील ने कहा कि सुनवाई के दौरान उल्लेख किए गए सभी उद्धरण एवं निर्णय केवल ऐसे मामले पर लागू होते हैं जिसमें घरेलू उद्योग में अनेक एकक हैं । वास्तव में ये सभी निर्णय केवल इस मान्यता पर आधारित हैं कि क्या किसी "संबद्ध पार्टी" की मौजूदगी से पाटनरोधी जांच में किसी प्रकार से बाधा आती है या नहीं और यह इस बात पर किसी रूप से निर्भर नहीं है कि घरेलू उद्योग में एक इकाई शामिल हैं अथवा एक से अधिक ।

(xiii) विभिन्न निर्णय यह दर्शाते हैं कि जिन मामलों में पाटन हुआ हो और कुछ क्षति हुई हो उन मामलों में हमेशा तय सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है और "संबद्ध प्राधिकारी" ने कभी भी केवल इस तकनीकी आधार पर जॉच को बंद नहीं किया है कि शिकायतकर्त्ता या याचिकाकर्त्ता पाटित वस्तुओं के विदेशी निर्यातक या आयातक से संबंद्ध है । इसके विपरीत जिस सिद्धांत का इन सभी मामलों में निरंतर पालन किया जाता रहा है वह यह है कि पाटनरोधी जाच में किसी भी मुद्दे को बाधक नहीं बनने दिया जाय जिसे आवश्यक समझा जाता है ।

(xiv) अगर "सम्बन्धों" के आधार पर वर्तमान जाँच को इस समय समाप्त कर दिया जाता है तो मै0 सैल और मै0 एक्सोन दोनों भारत में अपनी वस्तुओं का पाटन जारी रखेंगे जिससे

भारतीय उद्योग को बड़े पैमाने पर और नियमित रूप से क्षति होगी । इसके अलावा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए ऐसे किसी जाँच परिणामों के विरूद्ध मै0 नोसिल के लिए अपील करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी ।

(xv) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मै0 नोसिल और मै0 सैल, यूके द्वारा किए गए हैं । सिंगापुर के सैल और निदरलैंड के सैल जिन्होंने भारत को आईपीए का निर्यात किया है उक्त समझौता ज्ञापन में पार्टी नहीं हैं । यह तथ्य कि सिंगापुर के सैल और निदरलैंड के सैल एक ही निगम ग्रुप के अंग माने जाएं, असंगत और अवास्तविक है और अगर इस संबंध में यह सही है तो "सम्बन्धों" की मौजूदगी के निर्धारण के लिए कानूनी नियम पूर्ण रूप से अलग नहीं हो सकते हैं । नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग और पाटित वस्तुओं के निर्यातक के बीच एक सम्बन्ध होना जरूरी है ।

(xvi) नियम 2(ख) में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि जहाँ कोई विदेशी निर्यातक किसी निगम समूह का है तो भारतीय उद्योग और केवल ऐसी कम्पनियों के बीच सीधा सम्बंध कायम किया जा सके जो निगम ग्रुप की अंग है । इसके अलावा यह हल्दोर टॉपशू के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए उन सिद्धांतों के विपरीत होगा कि "पाटनरोधी शुल्क लेवी निर्यातक विशेष से संबद्ध होती है और इसे ऐसे प्रत्येक निर्यातक द्वारा निर्यातित वस्तुओं पर अलग-अलग लगाना होता है जो भारत में वस्तुओं का पाटन करते हुए पाए जाते हैं" ।

(xvii) मै0 नोसिल ने आगे यह अनुरोध किया है कि अगर भविष्य मे मै0 सैल और मै0 नोसिल के बीच कोई सम्बन्ध बनता है तो उस स्थिति में इसका प्रभावी रूप से समाधान किया जा सकता है और इस पर नियम 23 में उल्लिखित समीक्षा के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

तदनुसार, मै0 नोसिल ने अनुरोध किया है कि मै0 एक्सोन की काफी तकनीकी आरंभिक आपत्ति को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल मौजूदा पाटनरोधी जॉच को विफल व खत्म करने के लिए हैं जिससे मै0 एक्सोन गुणदोष के आधार पर सामना नहीं करने के लिए कृतसंकल्प हैं ।

(5) मै0 सेल निदरलैंड कैमी. बी.वी., सैल इंडिया प्रा. लि. और सैल ईस्टर्न कैमिकल्स का संयुक्त अभ्यावेदन

(i) एसईसी (एस), सैल ईस्टर्न ट्रेडिंग प्रा. लि. (जो 1996 से भारत को आईपीए का निर्यात करने वाली एकमात्र कम्पनी है) का एक प्रभाग सहित प्रतिवादियों में से कोई भी मै. नोसिल के साथ प्रस्तावित परियोजना में समझौता ज्ञापन/वार्ताओं में किसी भी समय पार्टी नहीं थे और/या नहीं हैं और न ही उन्होंने मै0 नोसिल का तथाकथित रूप से या कभी किसी प्रकार का इक्विटी धारक बनने पर सहमति व्यक्त की थी ।

(ii) तथापि प्रतिवादी ने इक्विटी के संबंध में सूचित किया है कि उक्त समझौता ज्ञापन दिनांक 1 अक्तूबर, 2000 को समाप्त हो गया है और उत्तरदाता की जानकारी में संबद्ध पार्टियों के बीच कोई और समझौता ज्ञापन न तो किया गया है और/या न मौजूद है ।

(iii) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मै0 सैल कैमिकल लि. और मै0 नोसिल के बीच किए गए हैं जो वर्तमान याचिका में प्रतिवादी नहीं है । प्रतिवादियों में से किसी के पास और एससीएल की पूँजी में कोई हिस्सा नहीं है और एससीएल न तो प्रतिवादी की सहायक और/या स्वामित्ववाली कम्पनी है और न ही एससीएल ने भारत को आईपीए का निर्यात किया है । इस प्रकार , एससीए और प्रतिवादी के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है ।

(iv) प्रतिवादी ने इस आरोप का जोरदार खण्डन किया है कि वर्तमान याचिका मै0 नोसिल द्वारा प्रतिवादी के अनुरोध पर दायर की गई है । इसको भी विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है कि प्रतिवादी की ओर से पाटनरोधी नियमों की प्रक्रिया का किसी प्रकार का लाभ लेने का कोई प्रयास किया गया है जैसाकि मै0 एक्सोन ने आरोप लगाया है ।

(v) प्रतिवादियों ने मै0 एक्सोन के इस आरोप को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया है कि अगर वर्तमान याचिका की पुष्टि की जाती है तो इसका सीधा परिणाम यह होगा कि इससे भारतीय बाजार में प्रतिवादी के लिए कथित रूप से निरंकुशता का एक क्षेत्र बन जाएगा । प्रतिवादी ने यहाँ पुनः दुहराया है कि अगर मै0 नोसिल द्वारा दायर वर्तमान याचिका की पुष्टि हो जाती है तो शुल्क प्रतिवादी पर भी लगाया जा सकता है जो कि वर्तमान याचिका की एक पार्टी है । इस प्रकार, मै0 एक्सोन द्वारा अपने अनुरोधों में पूर्व में किए गए दोषारोपण पूर्णतः असत्य, आधारहीन और बिना किसी साक्ष्य के हैं ।

(vi) इसमें यह कहा गया है कि मै0 नोसिल के साथ प्रतिवादियों का संबंध नहीं है जैसाकि आरोप लगाया गया है । प्रगतिवादियों ने कहा है कि मै0 सैल कैमिकल लि., सिंगापुर के नाम से भारत को आईपीए के निर्यात किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है जैसाकि आरोप लगाया गया है । जैसाकि उल्लेख किया गया है, केवल एसईसी (एस) ही 1996 से सिंगापुर से भारत में आईपीए का निर्यात कर रहा है ।

उपरोक्त परिस्थिति में, प्रतिवादियों ने एक बार फिर आदरपूर्वक अनुरोध किया है और कहा है कि मै0 नोसिल और याचिका के उत्तरदाता के बीच कोई कथित सम्बन्ध नहीं है ।

6. मै0 एक्सोन कैमिकल इंटरनेशनल सर्विसेज लि., हांगकांग (ईसीआईएस) और मै0 एक्सोन मोबाइल कैमिकल कम्पनी (ईएमसीसी) का सम्मिलित अनुरोध

(i) याचिकाकर्त्ता सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत यथापरिभाषित 'घरेलू उद्योग) ' नहीं है क्योंकि शिकायत में उल्लेख किए गए निर्यातक से उसके संबंध हैं तथा वह स्वयं 1993-94 तक कथित उत्पाद का आयात कर रहा था ।

(ii) याचिकाकर्त्ता की स्थिति वर्तमान याचिका दर्ज करने/चालू रखने की नहीं है । घरेलू उद्योग की परिभाषा के अनुसार पाटनरोधी जॉच के लिए कोई आवेदन केवल घरेलू उद्योग द्वारा या घरेलू उद्योग की और से किया जा सकता है जो स्वयं कथित उत्पाद का एक आयातक नहीं है और उसका किसी निर्यातक या आयातक से कोई संबंध नहीं है/हैं । इसके अलावा घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दर्ज करने के आधार कर निर्धारण शुरू में ही किया जाता है जैसाकि प्राधिकारी ने चीन से मेटालर्जिकल कोक के मामले में इस बारे में निर्णय दिया है ।

(iii) धारा 2(ख) के साथ पटित नियम 5(i) और पाटनरोधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार यह बिल्कुल साफ है कि याचिका केवल घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दर्ज की जा सकती है । वर्तमान मामले में यह पूर्णतया स्पष्ट है कि याचिकाकर्त्ता आरंभिक शर्त के अनुसार वर्तमान याचिका दर्ज करने की स्थिति में स्वयं नहीं था क्योंकि वह घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर नहीं आता था ।

(iv) याचिकाकर्त्ता (मै0 नोसिल) भारत में आई पी ए का एकमात्र उत्पादक है ।

(v) याचिकाकर्त्ता के दिनांक 30 सितम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार व्यापार के अनेक क्षेत्र जैसेकि पेट्रोरसायन, रबड़, पीवीसी इत्यादि हैं । याचिकाकर्त्ता, मफतलाल ग्रुप और मै0 सैल कैमिकल लि. (यहॉ निर्यातक) के बीच एक संयुक्त उद्यम-कम्पनी बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें प्रतिवादी की इक्विटी 49% होगी ।

(vi) समझौता ज्ञापन और उस पर कार्यान्वयन के बाद मै. नोसिल के निदेशक मंडल ने एक व्यवस्था/अलगाव की योजना स्वीकृत की है जिसके तहत मै. नोसिल के पैट्रोरसायन और पॉलीमर विभाग को अलग किया जाएगा और एक चालू कम्पनी मै. नोसिल पैट्रोरसायन लि. के रूप में रखा जाएगा जिसमें प्रतिवादी के पास 49% इक्विटी धारिता होगी । योजना में यह भी व्यवस्था है कि रबड़ रसायन व्यापार को पृथक किया जाएगा और उसे एक चालू संस्था पोलयोनेफिन्स रबड़ रसायन लि. के रूप में रखा जाएगा और प्लास्टिक उत्पाद विभाग को सहायक कम्पनियों और कुछ निविष्टियों के साथ मै. नोसिल के साथ रखा जाएगा और मै. नोसिल की प्रदत्त पूँजी तदनुसार कम हो जाएगी।

(vii) मै. नोसिल ने शेयर धारियों की बैठक आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश देने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है । उक्त योजना को शेयर धारकों की स्वीकृति मिल गई प्रतीत होती है और इस योजना की पुष्टि के लिए याचिका बम्बई उच्च न्यायालय में स्वीकृति के लिए लंबित है ।

(viii) समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन मे प्रतिवादी ने मै. नोसिल में कमचारियों की संख्या में कटौती करने की मांग की है और परिणामस्वरूप मै. नोसिल ने दो वीआरएस योजनाएँ चलाई थी ।

(ix) समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए मै0 नोसिल और मै0 सैल के वरिष्ठ प्रबंधकों को शामिल करके एक संयुक्त दल बनाया गया है जो परियोजना को पुरा करेगा और संयंत्र को पुनः चालू करेगा । मै0 सैल का दल थाणे में स्थित एकक के नजदीक संयंत्र के परिसर में कार्य कर रहा है और निवासी परियोजना निदेशक ब्यौरे और संयंत्र संचालन पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में तथा परियोजना को शुरू करने और कार्य शुरू करने के लिए रूप रेखा तैयार करने में लगा हुआ है ।

(x) याचिकाकर्त्ता ने अपने तर्क में "संबद्ध पार्टियों" की परिभाषा के अर्थ को सीमित करने का प्रयास किया है और इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ रहा है कि संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है और आगे यह भी महसूस करने में असफल रहा है कि जब एक पक्ष कानूनी या प्रचालनात्मक तौर पर दूसरे के नियंत्रण या विनिर्देशन करने की स्थिति में हो तब पहले का दूसरे पर नियंत्रण माना जाता है । नियंत्रण का अर्थ है कि एक पार्टी कानूनी अथवा प्रचालनात्मक तौर पर दूसरी पार्टी पर नियंत्रण अथवा विनिर्देशन करने की स्थिति में है । समझौता ज्ञापन करने के तथ्य से यह बात बिल्कुल साफ तौर पर उजागर होती है कि प्रतिवादी निर्यातक नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हो सकता है किन्तु वह याचिकाकर्त्ता को इस बात का निर्देश देने की स्थिति में निश्चित रूप से है कि वह समझौता ज्ञापन की विभिन्न शर्तों का अनुपालन करे और दर्ज याचिका के दस्तावेजों से इसका पता चलता है ।

(xi) दिनांक 31 अक्तूबर, 1998 को आयोजित मै. नोसिल की एक असाधारण बैठक मे एनपीएल के सदस्यों ने निदेशक मंडल की धारा 81(1क) के अन्तर्गत यह सहमति दी है कि मै0 सैल को वरीयता आधार पर शेयर आबंटित किए जाएँ जोकि दिनांक 4 सितम्बर, 2000 को याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर दस्तावेजो से सामने आया है । इसके अतिरिक्त याचिकाकर्त्ता ने पृथक्करण की याचिका के लिए अपने शेयर धारको से पहले ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले लिया है जो कि दिनांक 15 सितम्बर, 2000 को सुनवाई के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में आ रहा है ।

उपरोक्त सभी कदमों से कानूनी रूप से पक्का संबंध बन गया है ।

(xii) पृथक्करण के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में दायर याचिका की योजना के पैरा 5(क), (ख)6 और 7 के अनुसार जोकि मै0 नोसिल में मै0 सैल तथा मै0 मॉन्टेल द्वारा निवेश से संबंधित है, सेल ने अन्तरिम चरण (तय तारीख अर्थात 1.10.98 और "प्रभावी तिथि" अर्थात् बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत के बीच चरण) के लिए मै. नोसिल में पहले से ही निवेश किया है ।

याचिकाकर्त्ता ने प्राधिकारी के समक्ष ईमानदारी नहीं दिखाई:

(i) याचिकाकर्त्ता ने प्राधिकारी के समक्ष ईमानदारी नहीं बरती क्योंकि उसने अपनी दायर पाटनरोधी याचिका में आवश्यक/संगत सामग्री को जानबूझकर और साच समझकर नहीं दिखाया है और न ही दे रहा है जबकि उसे सही सही पता था

इस प्रकार उसके द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना उसकी एक उल्लंघन या अनदेखी किए जाने की कार्यवाही है ।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री एसपी चेंगलवरैया नायडू (मृत) के वकील बनाम श्री जगन्नाथ (मृत) के वकील एवं आदेश (1994)। एससीसी के मामले में निर्णय दिया है कि "अगर याचिकाकर्त्ता कोई लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से कुछ सामग्री और संगत सूचना को रोक लेता है तो वह धोखाधड़ी होगी और उससे प्राप्त किए गए लाभ से वंचित किया जाना चाहिए ।

याचिका दायर करने को प्रेरित किया गया है:

(i) याचिकाकर्त्ता ने मै0 सैल कैमिकल्स लि. के कहने पर वर्तमान याचिका दायर की है जिसका याचिकाकर्त्ता की कम्पनी में बहुत बड़ा हिस्सा है । याचिका के परिणामस्वरूप अगर याचिकाकर्त्ता के दावे को माना जाता है तो मै0 एक्सोन से आईपीए के आयातो पर पाटनरोधी शुल्क लगाना होगा जो कि विश्वभर में प्रतिवादी का प्रतिस्पर्द्धी है और प्रतिवादी को सीधे लाभ प्रदान किया है और वह याचिकाकर्त्ता का एक प्रस्तावित शेयर धारक है ।

सैल-कैमिलक्स-एक निगमित उद्यम है

मै0 एक्सोन ने मै0सैल कैमिकल्स के एक निगम का उद्यम बताते हुए विभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और तदनुसार मै0 सैल कैमिकल्स लि. और मै0 सैल सिंगापुर इत्यादि सभी एक निगमित उद्यम हैं।

सम्बंधों के मुद्दे पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लिए गए दो पूर्ववर्त्ती निर्णय:

रूस, कजाकिस्तान तथा उक्रेन से हॉट रोल्ड कायल्स/शीट्स/प्लेटस/स्ट्रिप्स के मामले में और जापान, कोरिया तथा चीन से सिलाई की सुईयों के मामले में याचिकाकर्त्ता को घरेलू उद्योग के दायरे से तब बाहर कर दिया गया था जब उनका किसी निर्यातक से संबंध होना प्रमाणित हो गया था ।

नया प्रतिष्ठान (एन पी एल) आई पी ए का विनिर्माण नहीं करेगा

यह प्रश्न कि नया प्रतिष्ठान आई पी ए का विनिर्माण नहीं करेगा, असंगत है । यहां देखने वाली व सिद्ध करने वाली बात यह है कि क्या वे संबद्ध पार्टी हैं अथवा नहीं और क्या वे एक-दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखने की स्थिति में हैं । पार्टियों के बीच के संबंध को एक विशेष उत्पाद की तुलना में नहीं जाना जा सकता है, लेकिन समग्र रूप में उक्त संबंध को प्रमाणित करना होता है और देखना होता है जैसा कि पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट है।

7. **लिखित निवेदनों पर मैसर्स नोसिल का जवाब**

(i) मैसर्स एक्सोन के लिखित निवेदनों में समाचार पत्रों की कुछ रिपोर्टों पर दृढ़ता से विश्वास किया गया है । निवेदन है कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों को किसी वक्तव्य/प्रकथन/विवाद के समर्थन में सिद्धांततः साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है ।

(ii) मैसर्स नोसिल ने इस योजना से उत्पन्न होने वाली अथवा इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की निधियां/धनराशियां, किसी भी रूप में मै0 शैल/मोनटेल से प्राप्त नहीं की है ।

(iii) मैसर्स एक्सोन का यह आरोप कि मैसर्स नोसिल माननीय प्राधिकारी के समक्ष ईमानदारी से पेश नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से निराधार आरोप है । यह धारणा कि याचिका दायर करते समय मैसर्स नोसिल शैल के साथ अपने संबंधों के स्वरूप को स्पष्ट करने में विफल रहा है और उसके प्रकटन से बचा है, आधारहीन है क्योंकि मैसर्स नोसिल का मूल निवेदन और उसका तर्क, जो अभी भी दृढ़तापूर्वक कायम हैं, यह है कि न तो वास्तविक तौर पर और न ही सिद्धांत रूप में मैसर्स नोसिल का सिंगापुर के मै0 शैल और नीदरलैंड के शैल दोनों निर्यातक कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है ।

(iv) बिना निष्कर्ष के यह मान लेना कि मैसर्स नोसिल यू. के. के मै0 शैल से जुड़ी है, इससे संभवतः यह नहीं कहा जा सकता कि मैसर्स नोसिल सिंगापुर के शैल या नीदरलैंड के शैल से जुड़ी है, जो कि निर्यातक कंपनियां हैं और जो समग्र रूप से अलग और भिन्न कारपोरेट प्रतिष्ठान है । अलग होने का आरोप केवल मैसर्स नोसिल के खिलाफ लगाया जा सकता है अगर मैसर्स नोसिल एक या इससे ज्यादा निर्यातक कंपनियों से जुड़े होने के विवाद में हैं। बेईमानी या सद्भाव में कमी का आरोप मैसर्स नोसिल के खिलाफ लगाना संभव नहीं हो सकता है, चाहे उसकी सभी कानूनी दलीलें और तर्क, किसी भी कारण से अस्वीकार कर दी गई हों ।

(v) मौजूदा मामले में, मैसर्स नोसिल और मै0 शैल के बीच तथा कथित संबंध एक तथ्य नहीं है यह एक ऐसी उच्च स्तर की कानूनी उलझन है जिसके बारे में सही स्थिति का तब तक नहीं पता चल सकता जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर अंतिम रूप

से निर्णय नहीं ले लिया जाता, क्योंकि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है जिसे संगत कानूनी स्थिति और शामिल मुद्दों के रूप में माना जाए । इसके फलस्वरूप, संभवतः न तो निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता कि मैसर्स नोसिल ने अपने को स्वतः मै0 शैल से जुड़ा घोषित न करते हुए, उन्होंने कोई संगत या वास्तविक तथ्यों को छिपाया हे और न ही संभवतः यह सुझाव दिया जा सकता है कि मैसर्स नोसिल ने यह सब किसी अनुचित या समानान्तर उद्देश्य से किया है । मैसर्स नोसिल ने यह उल्लेख किया है और प्रमाणित किया है कि उसे मैसर्स एक्सोन द्वारा भारत मे आई पी ए का पाटन किए जाने के कारण न केवल भारी क्षति उठानी पड़ी है जैसा कि सिंगापुर और नोदरलैंड के शैल ने आरोप लगाया है, अपितु इसके परिणामस्वरूप मैसर्स नोसिल को अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है जिसके कारण भारी घाटा हुआ है ।

(vi) मैसर्स एक्सोन स्वाभाविक रूप से पाटनरोधी जांच को शुरू में ही खत्म करने को बहुत उत्सुक है क्योंकि जो जानकारी माननीय प्राधिकारी की फाईल में पहले से ही मौजूद है, यह बात बिना किसी शंका के यह प्रमाणित करती है कि मैसर्स एक्सोन भारत मे बड़े स्तर पर पाटन में लगा हुआ है ।

(vii) मैसर्स नोसिल के इस मूल निवेदन पर भेदभाव किए बिना कि उसका मै0 शैल से कोई संबंध नही है, मैसर्स नोसिल का यह भी मौलिक तर्क रहा है कि अगर मैसर्स नोसिल को किसी कारणवश, सिंगापुर के शैल और नोदरलैंड के शैल निर्यातक कंपनियों, से जुड़ा पाया जाता है, तब भी संशोधित नियम 2 (ख) के तहत, माननीय प्राधिकारी के पास पूर्णतः विवेकाधिकार है कि वह मैसर्स नोसिल को पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग से बाहर नहीं रखेंगे ।

(viii) मैसर्स एक्सोन का वह निवेदन जिसमें न्यायालय के फैसले तथा मामला संबंधी कानूनों और मैसर्स नोसिल द्वारा यू एस ए, ई यू और न्यूजीलैंड से प्राप्त सूचना के आधार पर भरोसा किए जाने की अनदेखी करने की बात की गई है । वह केवल उन्हीं मामलों में की जाती है जहां घरेलू उद्योग में एक से ज्यादा उद्योग शामिल हैं और किसी भी मामलों में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है जहां केवल एक घरेलू उद्योग हो, जैसा कि मौजूदा मामले मे है । जिस मौलिक आधार और तर्क, के पक्ष में निर्देश देने तथा संबंधित घरेलू उत्पादकों को अलग नहीं रखने के लिए कभी-कभी विश्वास किया जाता है, वह यह था कि इससे किसी भी रूप में पाटनरोधी जांच को नुकसान नहीं होगा या वह नष्ट अथवा बाधित नहीं होगी ।

(ix) मैसर्स एक्सोन द्वारा उल्लिखित दो मामले, जिनमें प्राधिकारी निर्यातक से जुड़े पाए गए घरेलू उद्योग को बाहर रखने का निर्णय ले चुके हैं, नियम 2 (ख) के संशोधन से पहले की अवधि से संबंधित मामले हैं, जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कभी भी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया है ।

8. **मैसर्स एक्सोन द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर**

(i) मैसर्स नोसिल और मै0 शैल के बीच के संबंध, जो अब पर्याप्त रूप से वाणिज्यिक स्थिति ग्रहण कर चुके हैं, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के हित में है । दिनांक 30.9.1998 के उपरोक्त समझौता ज्ञापन का पूर्णतः कार्यान्वयन होने पर, मै0 शैल का बढ़ती हुई घरेलू उत्पादन क्षमता से लाभ पाना निश्चित है । इस प्रकार जांच के अधीन उत्पाद के निर्यात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा को खत्म करते हुए, मै0 शैल मसर्स नोसिल के साथ मिलकर भारतीय बाजार में एकाधिकार प्राप्त कर लेंगे । इससे केवल मै0 शैल और मैसर्स नोसिल को लाभ पहुँचेगा जो कि सार्वजनिक नीति के सभी पहलुओं के विपरीत है और सार्वजनिक हित का उल्लंघन भी है । आगे यह कहा गया है कि मै0 शैल के अधिकारी जो फिलहाल मैसर्स नोसिल के साथ हैं, उनका मैसर्स नोसिल पर पर्याप्त प्रशासनिक और संचालनात्मक नियंत्रण है और इस कारण से भी मैसर्स नोसिल घरेलू उद्योग के लिए पात्र नहीं है ।

(ii) मैसर्स नोसिल का यह तर्क कि मैसर्स एक्सोन पाटन कर रहा है, झूठ है और इसे अस्वीकारा गया है । वस्तुतः मैसर्स एक्सोन सभी कानूनी और वैध जांच का अनुपालन करने के लिए बाध्य है, जिसका अनुपालन, अन्य बातों के साथ-साथ, मैसर्स एक्सोन द्वारा किए गए निर्यातों के खिलाफ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है । निवेदन किया जाता है कि मैसर्स एक्सोन ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के नोटिस में कुछ ऐसी जानकारी और असुविधाजनक तथ्य लाए हैं जिन्हें अब तक मैसर्स नोसिल द्वारा छिपाया गया है ।

(iii) मैसर्स नोसिल द्वारा किए गए अपने इस आशय के निवेदनों के जवाब में कि यह पाटन मार्जिन, क्षति और कारणात्मक संबंध का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं, मैसर्स नोसिल के एक घरेलू उद्योग होने के मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । जांच फिलहाल शुरूआती चरण में है और शुरू होने वाली जांच के लिए कुछ मूल संघटकों को जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मैसर्स नोसिल को घरेलू उद्योग के रूप में प्रमाणित करना भी शामिल है, पूरा किया जाना है ।

(iv) यू एस ए और ई यू के पाटनरोधी नियमों के तहत हमेशा से यह प्रणाली रही है कि एक व्यक्ति, जिसे निर्यातक के साथ संबंध रखने से लाभ पहुँचा है, पाटनरोधी कार्यवाहियों का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उसे घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए । मौजूदा मामले में यह निवेदन किया गया है कि पाटनरोधी नियमों के बहाने से मैसर्स नोसिल और मै0 शैल भारतीय बाजार में जांच के अधीन उत्पाद के संबंध में एकाधिकार की स्थिति को बनाए रखने और उसे पक्का करने के इच्छुक हैं ।

(v) नम्र निवेदन यह है कि दिनांक 30.9.98 के समझौता ज्ञापन को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है और पृथक हुई पैट्रोकेमिकल इकाई इक्विटी शेयर प्राप्त करने के लिए मै0 शैल को सक्षम बनाने के प्रयोजन से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली पार्टियों द्वारा पर्याप्त प्रचालानात्मक और वाणिज्यिक कदम उठाए जा रहे हैं । यह रिपोर्ट मिली है कि पूर्व

में मै0 शैल द्वारा यथा सहमत इस परियोजना का आधुनिकीकरण करने के लिए सभी सरकारी स्वीकृतियां प्राप्त हो गई थीं । इस एकल अविवादित तथ्य से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मैसर्स नोसिल और मै0 शैल के बीच के संबंधों में समझौता ज्ञापन से सभी अधिक प्रगति हुई है और पृथक करने की योजना को प्रभावी बनाने और मै0 शैल में पृथक हुए उद्यमों को शामिल करने की सभी पूर्व शर्तों का पहले ही अनुपालन किया गया है । इस समय यह मामला बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जो इस योजना को अपनी मंजूरी देगा और शैल में उद्यमों के विलय के बारे में आदेश जारी करेगा । यह भी अनुरोध है कि जो समझौता ज्ञापन तैयार किया गया था उससे दोनों पक्षों के बीच कानूनी बाध्यकारी संबंध बन गए हैं और इसलिए मैसर्स नोसिल मै0 शैल से संबंधित एक पक्ष है । यह भी अनुरोध किया जाता है कि पृथक हुई इकाई में मै0 शैल द्वारा किस समय हिस्सेदारी प्राप्त की जाएगी यह अभी तय नहीं हुआ है । वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए ये तथ्य पर्याप्त हैं कि क्या सह निर्णय ले लिए जाए कि मैसर्स नोसिल के मै0 शैल के साथ वाणिज्यिक और प्रचलानात्मक संबंध हैं । साक्ष्यों एवं माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास दर्ज अन्य दस्तावेजों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मै0 शैल और मैसर्स नोसिल के बीच पर्याप्त वाणिज्यिक एवं प्रचलनात्मक संबंध है जिससे घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स नोसिल की दावेदारी की पात्रता समाप्त हो जाती है ।

(vi) दिनांक 30.9.98 के समझौता ज्ञापन पर दोनों पक्षों द्वारा पर्याप्त रूप से कारवाई की गई है और पृथक हुई इकाई पर नियंत्रण प्राप्त करने की दृष्टि से मै0 शैल द्वारा मिलियन रूपयों में पर्याप्त निवेश पहले ही किया जा चुका है । इसके अलावा, मै0 शैल के अधिकारी जो फिलहाल मैसर्स नोसिल में तैनात हैं इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर निगरानी रख रहे हैं । इसलिए मैसर्स नोसिल द्वारा यह कहने के लिए एक मात्र तकनीकी आपत्ति है कि निदेशक मंडल से सहमति प्राप्त की जानी है । यह कहना कि निदेशक मंडल इस तथ्य से अवगत नहीं है अथवा और इस घटनाक्रम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, गलत है और इसलिए यह अतार्किक प्रतीत होता है ।

(vii) चूँकि विचाराधीन उत्पाद पैट्रोकैमिकल विभाग का एक हिस्सा है इसलिए उसका उत्पादन मै0 शैल नियंत्रित पृथक हुए एकक द्वारा किया जाएगा । अतः मैसर्स नोसिल के साथ-साथ मै0 शैल भी इस प्रकार पृथक हुए पैट्रोकेमिकल प्रभाग पर नियंत्रण रखेगा । "संबंधित सेवाओं का निर्धारण करने हेतु जांच निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर की गई है:-

i जब एक का दूसरे पर प्रचलनात्मक नियंत्रण हों;
ii जब दोनों मिल कर एक-तीसरी इकाई पर नियंत्रण रखते हों, और
iii जब दोनों किसी तीसरे पक्ष द्वारा साथ-साथ नियंत्रित होते हों ।

किसी भी हालत में, उपरोक्त (ii) में निर्धारित सिद्धांत स्पष्ट तौर पर लागू होते हैं क्योंकि पृथक हुई इकाईयों को दोनों एककों नामतः मैसर्स नोसिल और मै0 शैल, द्वारा नियंत्रित किया जाएगा । इसलिए, किसी भी हालत में मैसर्स नोसिल को संबंधित पार्टी होने के कारण, घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना है ।

(viii) मैसर्स नोसिल के लिए यह तर्क प्रस्तुत किया जाना पूर्णतः असंगत है कि दिनांक 30.9.98 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में अलगाव की योजना परिस्थितियों के तहत पहले ही बनाई जा चुकी है और मुम्बई उच्च न्यायालय में इसे दायर कर दिया गया है, समझौता ज्ञापन पर पर्याप्त रूप में वाणिज्यिक रूप में कार्रवाई की गई है और इससे इसे एक संविदा का कानूनी दर्जा प्राप्त हो चुका है जिसके लिए अवधारणा यह होगी कि मै0 शैल पृथक किए गए उद्यम में हिस्सेदारी करेगी ।

(ix) नम्र निवेदन है कि यह तथ्य मै0 शैल के दो अधिकारी, जो फिलहाल मैसर्स नोसिल के लिए कार्य कर रहे हैं और जो मै0 शैल के वेतन चिठ्ठे पर हैं, मै0 शैल और मैसर्स नोसिल के बीच गहरे वाणिज्यिक संबंधों को स्पष्ट तौर पर सिद्ध करते हैं । जैसा कि इसमें पहले भी उल्लेख किया गया है कि उक्त दो अधिकारी दिनांक 30.9.98 के समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर निगरानी रख रहे हैं और इसके तहत दावों को तैयार करते हुए, मैसर्स नोसिल के कार्यों पर पर्याप्त प्रचलनात्मक एवं अन्य नियंत्रण रख रहे हैं । तर्क के लिए यह भी मान लिया जाए कि मैसर्स नोसिल के तर्क के अनुसार समझौता ज्ञापन पर कार्रवाई शुरू करने में अभी अनेक शर्तों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, फिर भी यह विचार करने की बात है कि मै0 शैल के दोनों कर्मचारियों को किस प्रयोजन के लिए मैसर्स नोसिल में इतने समय बाद अब भी क्यों रखे हुए हैं ।

(x) यह निवेदन है कि पाटनरोधी जांच, जैसा कि मैसर्स नोसिल ने लिखित निवेदनों में भी माना है, देश-विशिष्ट होती है न कि निर्यातक विशिष्ट । इसलिए मै0 शैल के उद्यम को किसी भी हालत में मौजूदा जांच के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है । इसलिए मैसर्स नोसिल का प्रयास अपनी जरूरत के अनुसार है ।

(xi) 28 दिसम्बर, 2000 की प्रेस रिपोर्ट में योजना को कार्यान्वित करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को पहले ही पूरा कर लिया गया है और मुम्बई उच्च न्यायालय को अनुमति की प्रतीक्षा है । इसलिए, मैसर्स नोसिल के लिए एक तरफा तो यह कहना स्वतः ही विरोधाभासी है कि योजना को पूर्ववर्ती शर्तों के अनुरूप स्वीकृति/अनुमोदन की मंजूरी के बाद ही कार्यान्वित की जा सकेगी और दूसरी तरफ प्रेस रिपोर्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि सरकार की स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली गई है । इसलिए, इस पर मैसर्स नोसिल ने केवल तकनीकी रूप से आपत्ति उठाई है और इसे शुरूआत में ही अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए ।

(xii) हालांकि यह सच है कि किसी कंपनी का प्रबंधन उसके निदेशक मंडल द्वारा ही किया जाता है फिर भी, इसका नियंत्रण पूर्ण रूप से निदेशक मंडल द्वारा ही नहीं होता है । आगे यह निवेदन किया गया है कि मैसर्स नोसिल ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसके निदेशक मंडल में मै0 शैल का कोई प्रतिनिधि नहीं है । उपरोक्त से मै0 शैल तथा मैसर्स नोसिल के बीच महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संबंधों के कारण यह निःसंदेह

प्रमाणित हो जाता है कि मै0 शैल मैसर्स नोसिल के मामले पर नियंत्रण और निर्देशन की स्थिति में है । श्री ऋषिकेश मफतलाल के वक्तव्य से यह और भी स्पष्ट है कि मै0 शैल की सहमति के अनुसार सभी अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं ।

(xiii) यह कहा जा सकता है कि शुरू मे मैसर्स नोसिल ने इसे अस्वीकार कर दिया था कि उनका मै0 शैल के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध है । तथापि उत्तर के अधीन पैरा में दिए गए तथ्यों के अनुसार अपने स्वयं के अभ्यावेदन के ठीक विपरीत यह मान लिया गया है कि मै0 नोसिल ने मै0 शैल के साथ एक करार किया है और दोनों ने कानूनी रूप से प्रतिबद्ध होकर संबंध बनाया है । एक विधिमान्य स्थिति के अनुसार, कोई करार बिना किसी वैध आधार के कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकता है । यह कहा गया है कि यह करार पर विचार शैल द्वारा मैसर्स नोसिल में बड़ी मात्रा में पूँजी का निवेश करने के रूप में हुआ है । इस आधार पर हमारी पार्टी की ओर से किए गए पूर्ववर्ती अनुरोधों और दर्ज की गई प्रेस रिपोटो को दुहराया गया है ।

(xiv) इस निष्कर्ष के आधार पर मै0 नोसिल को अपील करने का कोई अधिकार नहीं रहा है और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए यथास्थिति प्राप्त करने के लिए अनुमति नही दी जा सकती है ।

(xv) जैसा कि इसमें पहले कहा गया है कि नियम की रूप रेखा की एक संक्षिप्त जांच से एक एकल संयुक्त निगम का पता चलता है जिससे शैल के सभी उद्यमों का स्वामित्व, विनियमन और नियंत्रण ग्रुप धारक कंपनियों द्वारा किया जाता है । इसलिए, इस परिस्थिति में मै0 नोसिल के लिए यह मान लेना तर्कसंगत नहीं है कि शैल के वे उद्यम जिनके साथ उसने समझौता ज्ञापन किया है और शैल के वे उद्यम जो कि विचाराधीन उत्पाद का कथित रूप से पाटन कर रहे हैं, दोनों अलग-अलग हैं ।

(ग) <u>उठाए गए मुद्दों की जाँच</u>

4. निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्त्ता और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधो की जॉच की गई है और इस मामले पर नियमों के संदर्भ मे उठाए गए मुद्दों की और जो मुद्दे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं उनकी जांच की गई है और इस अधिसूचना मे उपयुक्त जगह पर उन पर कार्यवाही की गई है ।

5. प्राधिकारी के विचारार्थ उत्पन्न प्रश्न यह है कि क्या यह कहा जा सकता है कि मै0 नोसिल जो कि एक याचिकाकर्त्ता है और निर्यातक शैल के बीच कोई संबंध मौजूद है और अगर इस प्रकार का कोई संबंध है तो क्या प्राधिकारी को मै0 नोसिल को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए । घरेलू उद्योग के संबंध में इस सिद्धांत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी को इस पर भी विचार करना है कि क्या याचिकाकर्त्ता ने याचिका दायर करते समय और/ या जॉच के दौरान कथित रूप से संबंध होने की तथ्य को निदेशालय से छिपाया

है और क्या इस तरह की सूचना वास्तविक रूप में दी गई है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे ।

6. सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 5 के अनुसार जांच के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर की जा सकती है ।

जुलाई, 1999 में यथासंशोधित नियम 2(ख) मे घरेलू उद्योग को परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है:

"घरेलू उद्योग " का तात्पर्य समग्र रूप से ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में अथवा तत्संबंधी किसी क्रियाकलाप मे कार्यरत हों अथवा उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में जिनका उक्त वस्तु के सामूहिक उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता हो । लेकिन जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से सम्बद्ध हों या स्वयं उसके आयातक हों तो उस स्थिति में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा ।

धारा 2(ख) के संशोधन के बाद इस धारा में जो स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है, वह नीचे दिया गया है:-

1. उत्पादकों को निर्यातकों अथवा आयातकों के साथ संबद्ध तभी माना जाएगा, अगर -

(क) उनमे से एक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर नियंत्रण हो, या
(ख) वे दोनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तृतीय पक्ष द्वारा नियंत्रित किए जाते हों, या

(ग) वे एक साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त के अधीन एक तीसरे व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हों कि इस बात पर विश्वास करने या संदेह करने के आधार हैं कि इस संबंध का प्रभाव ऐसा है जिसकी वजह से वे उत्पादक असंबद्ध उत्पादकों से भिन्न व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं ।

(ii) किसी उत्पादक का दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण तभी माना जाएगा जब पहला वैधानिक रूप से अथवा प्रचालनात्मक रूप से दूसरे को नियंत्रित करने अथवा निर्देश देने की स्थित में हो ।

7. नियम 5(3)(क) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए आवेदन के समर्थन या विरोध के स्तर की जांच के आधार पर इस बात का निर्धारण करना अपेक्षित है कि यह आवेदन घरेलू उद्योग अथवा उसकी ओर से किया गया है । यह एक आरंभिक आवश्यकता है जैसाकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन से होने वाले मेटलर्जिकल कोक के आयातों के संबंध में की गई जांच में अपने दिनांक 27.8.98 के निर्णय में तय किया था । यदि याचिका घरेलू उद्योग द्वारा दायर नहीं की गई है तो जांच की शुरूआत नहीं की जा सकती है ।

8. वर्तमान मामले में मै. एक्सोन का विवाद यह है कि जांचाधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक निर्यातकों में से किसी एक से संबंधित है और इसलिए यह घरेलू उद्योग की पात्रता नही रखता है । इस बात के निर्धारण के लिए कि क्या घरेलू उत्पादक निर्यातक से संवंधित है अथवा नहीं, नियम 2(ख) की व्याख्या का संदर्भ लेने की आवश्यकता है । मै. एक्सोन का मामला यह है कि मै. शैल प्रचालनात्मक रूप से मै. नोसिल को नियंत्रित करने अथवा निर्देश देने की स्थिति में है ।

9. किए गए निवेदनो तथा रिकार्डो में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह विचार है कि मै. नोसिल तथा मै. शैल संबद्ध हैं-

(i) स्वीकार्य रूप से मै. नोसिल ने मै. शैल के साथ समझौता ज्ञापन अथवा ठेका किया है जिसके अनुसार वह अपने पैट्रोकेमिकल प्रभाग को अलग कर रहा है और उक्त प्रभाग को एक नई कंपनी को हस्तांतरित कर रहा है जिसमें शैल 49% निवेश करेगा । प्राधिकारी की जानकारी में यह बात लाई गई है कि वास्तव में मै. शैल उस नई कंपनी में 74% इक्विटी का निवेश करने का प्रस्ताव कर रहा है ।

(ii) मै. नोसिल द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इस संविदा की एक पार्टी के रूप में वह उक्त संविदा का कार्यान्वयन करने और उसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय एवं कार्रवाई करने के लिए बाध्य था ।

(iii) मै. नोसिल के निदेशक बोर्ड तथा शेयर धारकों ने अलगाव की इस योजना का अनुमोदन कर दिया है और यह योजना अब बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अनुमोदन के लिए पड़ी है ।

(iv) मै. नोसिल द्वारा इस बात पर आपत्ति नहीं उठाई गई है कि मै. शैल के अधिकारी इस समय नासिल में तैनात हैं और वे समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन तथा परियोजना के पूरा होने की निगरानी कर रहे हैं । विभिन्न सरकारी अनुमोदन तथा पर्यावरणिक निकासी प्राप्त किए जा चुके हैं ।

(v) मै.नोसिल द्वारा दो वी आर एस योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया गया है ताकि इसके कार्य दल को कम किया जा सके जैसाकि मै. शैल द्वारा सुझाव दिया गया था ।

(vi) इसलिए प्राधिकारी की यह राय है कि पार्टियों ने उक्त समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए तथा उसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय एवं कार्रवाई की है और इनमें से कुछ कार्रवाई जांच अवधि के दौरान की गई है ।

(vii) मै.शैल ने मै. एक्सोन की उस बात पर विवाद उठाया है कि समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन किया जा चुका है जबकि कुछ ऐसी पूर्ववर्ती शर्तें हैं जिन्हें योजना को प्रचालन की स्थिति में मानने से पहले पूरा किया जाना है । हालांकि कुछ पूर्ववर्ती शर्तें पूरी की जानी है, फिर भी मै. नोसिल द्वारा यह विवाद नहीं उठाया गया है कि पार्टियों द्वारा समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन किया जा चुका है और किया जा रहा है ।

(viii) मै. नोसिल के प्रबंधन एवं मै. शैल के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि मै. शैल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मै. नोसिल पर प्रचालनात्मक रूप से नियंत्रण करने या निर्देश देने की स्थिति में है और इसलिए यह बात असंगत है कि मै. शैल की मै. नोसिल में कोई इक्विटी नहीं है अथवा मै. नोसिल के निदेशक मंडल में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है।

(ix) मै. शैल का यह निवेदन सही नहीं है कि उक्त समझौता ज्ञापन पर शैल, यूके के साथ हस्ताक्षर किए गए थे जबकि निर्यातक के रूप में शैल, नीदरलैंड तथा शैल, सिंगापुर हैं जो अलग अलग प्रतिष्ठान हैं और इसलिए मै. नोसिल तथा मै. शैल के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है । मै. एक्सोन ने प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि शैल ग्रुप की कंपनियों के पूरे समूह का नियंत्रण दो पैतृक कंपनियों तथा दो ग्रुप होल्डिंग कंपनियो द्वारा किया जाता है और शैल कंपनियों का प्रबंधन इन्ही ग्रुप होल्डिंग

कंपनियों को रिपोर्ट करता है । यह भी नोट करने योग्य है कि लगभग सभी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विनिर्माण एवं निवेश संबंधी क्रियाकलापों का संचालन विभिन्न कंपनियों के जरिए किया जाता है जो अंततः पैतृक कंपनियों के उसी समूह द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित की जाती हैं । ऐसा ही मामला शैल के साथ है । मै. शैल, यूके शैल ग्रुप की कंपनियों की निवेशक शाखा हो सकती है, जबकि मै. शैल, नीदरलैंड एवं मै. शैल सिंगापुर विनिर्माण शाखाएं हो सकती वे लेकिन चे सभी एक ही ग्रुप हेल्डिंग कंपनी को रिपोर्ट करते हैं । मै. शैल यूके तथा मै. शैल नीदरलैंड तथा मै. शैल सिंगापुर के बीच बतलाया गया यह अंतिम विभेद निराधार है क्योंकि जब पर्दा उठेगा तब यह स्पष्ट होगा कि इन सभी प्रतिष्ठानों का नियंत्रण उसी ग्रुप होल्डिंग कंपनियों द्वारा किया जाता है जो शैल ग्रुप के व्यापार तथा नीति संबंधी निर्देशों का निर्धारण करते हैं ।

(x) इस निष्कर्ष पर आते हुए कि मै. नोसिल तथा मै. शैल नियमों के अर्थों के भीतर संबंधित कंपनियां हैं, यह निर्णय लेना अभी आवश्यक है कि क्या प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के रूप में मै. नोसिल को अलग करने के लिए अपने स्वविवेक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं क्योंकि इस प्रकार का निष्कासन जुलाई, 1999 में नियमों के संशोधन के बाद स्वतः या अधिदेशित नहीं रह गया है ।

(xi) प्राधिकारी का यह विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मै. नोसिल को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए:-

(i) याचिकाकर्त्ता ने वास्तविक तथ्यों को दबाया है । इस बात के निर्धारण के लिए कि घरेलू उद्योग में कौनसी कंपनियां शामिल हैं, निम्नलिखित बाते संगत हैं-

(क) इस बात को निर्धारण करना कि क्या दायर की गई याचिका रखे जाने योग्य है अथवा नहीं । क्या इसे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा इसकी ओर से दायर किया गया है ?

(ख) यदि यह इस प्रकार दायर की गई है तो क्या घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है ?

(ii) इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि जांच की शुरूआत के उद्देश्य के लिए प्रथम दृष्ट्या निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जिस मानक प्रारूप में जांच की याचिका दायर की जानी चाहिए उसके प्रश्न 6(क)एवं(ख)में निम्नलिखित सूचना भरी गई हो:-

(क) क्या याचिकाकर्त्ता (ओं) में से कोई संबद्ध वस्तु का आयात करता है ? यहि हां तो कृपया पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष की आज की तारीख तक के दौरान देश वार आयात की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा प्रस्तुत करें ।

(ख) क्या कोई याचिकाकर्त्ता कथित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित है यदि हां तो इस प्रकार के संबंध का स्वरूप क्या है ? वर्तमान मामले मे घरेलू उद्योग ने उपरोक्त प्रश्न का जबाब नहीं दिया है । घरेलू उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि वह निर्यातकों में से किसी के साथ रहे संबंध की प्रकृति को प्रकट करे और इस बात का पूरा स्पष्टीकरण दे कि वे इस संबंध को याचिका दायर करने मे बाधक क्यों नहीं मानते हैं ? यह प्रकटीकरण नहीं किए जाने से यह कहा

जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से उन वास्तविक तथ्यों को छिपाया है जिनका जांच की शुरूआत पर सीधा प्रभाव पड़ता है ।

(iv) चूंकि याचिकाकर्त्ता उद्योग ने उस संबंध तथा संबद्ध तथ्यों को प्रकट नहीं किया है, जोकि भली भांति उनकी जानकारी में थी, इसलिए वे प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में स्वनिर्णय देने के प्रयोग के हकदार नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि मै. एक्सोन द्वारा उक्त संबंध के मुद्दे को उठाए जाने के बाद भी याचिकाकर्त्ता तथ्यों के पूर्ण एवं सही प्रकटन के साथ सामने नहीं आया है जबकि निदेशालय द्वारा अपने काई पत्रों के जरिए इसकी जानकारी मांगी गई है । वस्तुतः घरेलू उद्योग द्वारा अलग करने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गई समूची याचिका, जोकि एक नाजुक दस्तावेज है, की एक प्रति आज की तारीख तक दायर नहीं की गई है । केवल योजना की एक प्रति ही मै. एक्सन द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्त्ता द्वारा उन विभिन्न स्पष्टीकरणों एवं दस्तावेजों को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो प्राधिकारी द्वारा मांगे गए थे ।

(v) इसके अलावा, जांच की प्रक्रिया के एक चरण में याचिकाकर्त्ता ने यह लिखा है कि समझौता ज्ञापन समाप्त हो चुका है और आज यह प्रभावी नहीं है । इस विवरण के बारे में दिनांक 17.11.2000 के निदेशालय के पत्र में यथा निहित प्राधिकारी के प्रश्नों का जबाब नहीं दिया गया है । यह नोट करने योग्य है कि दिनांक 3.11.2000 को प्राधिकारी को इस प्रकार का विवरण दिए जाने के तुरंत बाद ही मै. शैल के प्रतिनिधियों ने बैसेल (मै.शैल तथा मै. बीएएसएफ का एक संयुक्त उद्यम) के जरिए एक नई कंपनी में 49% तक के उनके निवेश को पुनः स्वीकार किया है ।

मै.शैल के प्रतिनिधि ने यह कहा है कि मै.शैल अब भी इस परियोजना के बारे में इच्छुक है और औपचारिकताओं के जल्द ही पूरे होने की आशा करता है ।

(vi) इसके बाद दिनांक 20.12.2000 को हुई मौखिक सुनवाई में याचिकाकर्त्ता ने अपनी बात यह कहते हुए बदल दी कि समझौता ज्ञापन तकनीकी रूप से समाप्त हो चुका है और इस पर चर्चा जारी है । मै. एक्सॉन ने प्राधिकारी की जानकारी में यह बात भी लाई है कि मै. शैल उक्त नई कंपनी में 76% की बहुल्य धारिता रखने का प्रस्ताव कर रहा है । याचिकाकर्त्ता द्वारा इस तथ्य को प्राधिकारी के सामने किसी भी समय प्रकट नहीं किया गया था । कंपनी को पहले क्षण ही स्पष्ट एवं सच्चा होना चाहिए था और दिनांक 3 नवम्बर, 2000 को ही इस बात को प्रकट कर देना चाहिए था कि मै. शैल द्वारा इक्विटी होल्डिंग में वृद्धि करने के लिए चर्चा जारी थी । इसके बदले उन्होंने यह कहा कि समझौता ज्ञापन समाप्त हो चुका है और यह आज प्राभवी नहीं है ।

(vii) याचिकाकर्त्ता द्वारा दिए गए गलत प्रतिवेदन का दूसरा उदाहरण यह है कि दिनांक 4.9.2000 के उनके पहले निवेदन में यह कहा गया है कि मै नोसिल ने अपने पेट्रो रसायन प्रभाग (पी सी डी) को अलग करने तथा इसे एक नए रूप से बनाए गए कंपनी को हस्तांतरित करने के लिए मै.शैल के साथ एक ठेका किया है । उक्त ठेके के एक पार्टी के रूप में मै. नोसिल उक्त ठेके के कार्यान्वयन एवं इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय एवं कार्रवाई करने के लिए बाध्य था ।

मै. नोसिल ने पहले यह कहा कि इसका मै. शैल के साथ कोई बंधनकारी संबंध नहीं है जबकि इसने दूसरे निवेदन में यह कहा कि इसका मै. शैल के साथ बंधनकारी ठेका है और यह इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए बाध्य था ।

(viii) प्राधिकारी का यह विचार है कि याचिकाकर्त्ता के बदलते हुए रवैये तथा याचिका दायर करने के समय तथा जांच की प्रक्रिया के दौरान इसके द्वारा साक्ष्यों को कम स्पष्ट ढंग से प्रकट करने के मद्देनजर याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने पक्ष में निर्णय पाने का हकदार नहीं है ।

(ix) अनुच्छेद-vi के कार्यान्वयन के लिए करार की धारा 4.1 पर विश्वास करते हुए कि जब उत्पादक आयातकों या निर्यातकों से संबंधित हो अथवा वे स्वयं ही कथित रूप से पाटित उत्पादों के आयातक हों तब 'घरेलू उद्योग' शब्द की व्याख्या शेष उत्पादकों के संदर्भ में किया जा सकता है, घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि प्राधिकारी को अपने स्व निर्णय के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी कंपनी को उस दशा में याचिका का विरोध करने से रोका जाना चाहिए जब विरोध कंपनी नियंत्रण से संबंधित पाया गया हो और तब इस प्रकार से उसे अलग करने के बाद जांच की कार्रवाई की जानी चाहिए । चूंकि वर्तमान जांच में मै. नोसिल ने पाटन से कोई लाभ नहीं उठाया है इसलिए मै. नोसिल को घरेलू उद्योग की परिभाषा से अलग नहीं किया जाना चाहिए । यह निस्संदेह सत्य है कि यूरोपीय आयोग ने कई निर्णयों में उन घरेलू उत्पादकों को अलग नहीं रखा है जो घरेलू उद्योग की गणना/परिभाषा के हिसाब से निर्यातकों से संबंधित है अथवा जबकि उन्होंने ऐसे उत्पादकों को छोड कर शेष उत्पादकों सहित घरेलू उद्योग के आधार पर जांच शुरू की है, लेकिन वर्तमान मामला उन मामलों से भिन्न है क्योंकि यहां केवल एक ही घरेलू उत्पादक है जो घरेलू उद्योग बनाता है और यदि इस घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग से अलग कर दिया जाता है तब जांच की कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यहां कोई अन्य उत्पादक/घरेलू उद्योग नहीं है जिसके संबंध में किसी प्रकार की क्षति का निर्धारण किया जा सके । इसलिए

याचिकाकर्ता द्वारा अपने निवेदन के समर्थन में उल्लेख किए गए विभिन्न निर्णय एवं संदर्भ पुस्तक सहायक नहीं हैं । जैसाकि यूरोपीयन आयोग द्वारा माइक्रो डिस्क के मामला 1993 ओ जे एल 262/4 तथा 1994 ओ जे एल 68/8 में कहा गया है कि (पूर्ववर्ती) अनुच्छेद 4(5) का तर्काधार यह है कि क्षति के निर्धारण के लिए इसे उन उत्पादकों द्वारा अनुचित व्यापार प्रणाली से सहायता प्राप्त करने के लिए खुला नहीं रखना चाहिए जो निर्यातकों से संबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने इस संबंध के जरिए क्षति कारक पाटन में भाग लिया होगा या लाभ उठाया होगा । जहां कही भी उपयुक्त हो ऐसे उत्पादकों को बाहर रखते हुए, समुदाय संस्थान पाटित आयातों के बारे में अविकृत एवं उद्देश्यपूर्ण विचारो को प्राप्त कर सकते हैं । यदि यह मामला नहीं होता तो क्षति में योगदान करने के अलावा (सिक) के निर्यातकों से संबंधित जो उत्पादक पाटन से अन्यथा लाभान्वित हो रहे होते वे अपने प्रयासों में शिकायतकर्ता समुदाय के उत्पादकों से छिपाने की स्थिति में होंगे अथवा ऐसे प्रयासों को रोकेंगे ताकि पाटित आयातो के कारण हुई क्षति के लिए उचित राहत मिल सके ।"

(x) याचिकाकर्त्ता का यह विवाद है कि किसी उत्पादक, जो किसी निर्यातक से संबंधित है को उस दशा में घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखना चाहिए जब क्षति निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाए, तथापि यदि प्राधिकारी वैसी कंपनियों, जो खुद ही निर्यातक से संबंधित हैं, को छोडने के बाद एक उद्देश्यपरक क्षति निर्धारित करते हैं तब ऐसी कंपनियों को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए । प्राधिकारी का यह विचार है कि मै. नोसिल के अलावा किसी अन्य घरेलू उत्पादक की अनुपस्थिति में किसी प्रकार का क्षति निर्धारण संभव नहीं है और बाद में जब एक बार मै. नोसिल को अलग कर दिया जाता है तब प्राधिकारी के लिए जांच की कार्रवाईयों को जारी रखना संभव नहीं होगा ।

(xi) याचिकाकर्ता तथा निर्यातक द्वारा यह विवाद उठाया गया है कि मै. नोसिल को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल नहीं किए जाने के बावजूद भी प्राधिकारी को स्वतः जांच की शुरूआत करनी चाहिए । यदि एक बार मै. नोसिल को निर्यातक से संबंधित होने के कारण अलग कर दिया जाता है तब ऐसा कोई घरेलू उद्योग नहीं होगा जिसके संबंध में क्षति का निर्धारण किया जा सके और प्राधिकारी के लिए स्वतः जांच आरंभ करने की छूट नहीं होगी ।

घ. **निष्कर्ष**

10. पूर्वोक्त बातों पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-

i) याचिकाकर्त्ता मै. नोसिल, मै. शेल नामक निर्यातक से संबंधित है;

ii) याचिका को बनए रखने का निर्धारण तथा प्रथम दृष्ट्या स्थिति में भी क्षति के निर्धारण के उद्देश्य से इस संबंध की मौजूदगी एक वास्तविक तथा संबद्ध तथ्य है,

iii) इस महत्वपूर्ण सूचना, जोकि याचिकाकर्त्ता के जानकारी के भीतर थी, को निर्दिष्ट प्राधिकारी से छिपाया गया है और जांच की प्रक्रिया के दौरान भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को कम स्पष्ट प्रकटन किया गया है,

iv) इसलिए पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के तहत मै. नोसिल को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है ।

v) उपरोक्त नियम 14(ख) के तहत घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करना संभव नहीं है और यदि इस एकमात्र उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग कर दिया जाता है तब जांच को जारी नहीं रखा जा सकता है और इसलिए इसे समाप्त माना जाएगा ।

एल. वी. सप्तरिगि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2001

TERMINATION ORDER

Subject:—Anti-Dumping investigation concerning imports of Isopropyl Alcohol (IPA) from USA, Singapore and Netherlands.

No. 12/1/2000-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the Rules, received written application from M/s. National Organic Chemical Industries Limited (M/s NOCIL), alleging dumping of Isopropyl Alcohol (IPA), originating in or exported from USA, Singapore and Netherlands (hereinafter referred to as subject countries);

ii. The Authority, on the basis of evidence submitted by the petitioner, decided to initiate investigation against imports of Isopropyl Alcohol from the subject countries. In accordance with sub-rule 5(5) of the Rules, the Authority notified the Embassies of the subject countries about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation;

iii. The Authority issued a public notice dated 12th June, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of Isopropyl Alcohol classified under custom sub-headings 2905-1201 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975, originating in or exported from the subject countries;

iv. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known exporters (whose details were made available by the petitioner) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with rule 6(2);

v. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known importers of Isopropyl Alcohol in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;

vi. Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of Isopropyl Alcohol for the past three years, including the period of investigation.

vii. The Authority provided a copy of the non-confidential petition to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with rules 6(3) supra;

viii. The Authority sent questionnaire, to elicit relevant information, to the known exporter from USA, Singapore and Netherlands as indicated by the petitioner , as mentioned below in accordance with the Rule 6(4):-

USA

- M/s Exxon Chemical, Houston, USA

SINGAPORE

- M/s Shell Eastern Chemicals (Singapore)

NETHERLANDS

- M/s Shell Nederland Chemie BV of Netherlands

ix. The response to the questionnaire was received from M/s Exxon, USA, M/s Shell Nederland Chemie B.V.,Netherlands, M/s Shell India Pvt. Ltd., India and M/s Shell Eastern Chemicals (S), Singapore. None of the other exporters responded to the questionnaire.

x. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to

the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, non-confidential petition and questionnaire sent to the exporter was also sent to the Embassies, along with a list of known exporters/producers;

xi. A questionnaire was sent to the following known importers/ wholesale dealers of Isopropyl Alcohol in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4):

- M/s Alkyl Amines Chemicals Ltd., Mumbai
- M/s Aarti Drugs Ltd, Mumbai
- M/s Coates of India Ltd, Mumbai
- M/s Finolex Essex, Goa
- M/s Lubrizon India Ltd., Mumbai
- M/s IPCA Laboratories Ltd., Mumbai
- M/s Kopran Drugs Ltd., Mumbai
- M/s Themis Chemicals Ltd., Mumbai
- M/s Goodlass Nerolac Paints Ltd., Mumbai
- M/s Hindustan Insectides Limited, New Delhi
- M/s Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi
- M/s ICI Nitrocellulose Business, Gurgaon
- M/s Aurobindo Pharma Ltd., Hyderabad
- M/s Cheminor Drugs Ltd., Hyderabad
- Dr. Reddy's Laboratories, Hyderabad
- M/s Hetero Drugs Ltd., Medak
- M/s Prabhu's Inks, Podanur
- M/s Sudarshan Drugs Ltd., Hyderabad
- M/s Shasun Chemicals & Drugs Ltd., Madras
- M/s. Daurala Organics Ltd.

The response was, however, filed by the following importers of IPA:

- M/s Alkyl Amines Chemicals Limited, Mumbai
- M/s Shasun Chemicals And Drugs Ltd., Chennai
- M/s Daurala Organics,

xii. Additional information regarding injury was sought from the petitioner, which was also received;

xiii. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;

xiv. **** in this notification represents information furnished by the petitioner on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xv Investigation was carried out for the period starting from 1st January, 1999 to 31st December, 1999.

B **ISSUE RAISED ON STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

3. **VIEWS OF M/s EXXON CHEMICAL INTERNATIONAL SERVICES LIMITED, HONG KONG (ECIS) AND EXXON MOBIL CHEMICAL CO.,(EMCC)**

(i) After initiation of the case M/s Exxon raised a major issue that the Domestic Industry M/s NOCIL has a relationship with one of the exporters M/s Shell as they have signed a MoU for the de-merger way back in 1998. M/s Exxon has further stated that as per Section 2(b) of the Anti Dumping Rules, M/s NOCIL may be deemed not to form part of the Domestic Industry within the definition of "Domestic Industry" and hence the petition ought to be dismissed and the investigation proceeding be terminated forthwith. The major points highlighted by M/s Exxon are as under:-

- ❖ M/s Shell has agreed to partner with M/s NOCIL (hold 49% equity) for its Petro Chemical Business which includes the manufacture of the product under investigation;

- ❖ M/s NOCIL and M/s Shell have signed an MOU in 1998;

- ❖ The Board of M/s NOCIL has approved a scheme of arrangement that result in the company being split into three. All assets and liabilities pertaining to the Petrochemical and Polymer division of the company will be demerged and vested as a going concern in M/s NOCIL Petrochemicals Ltd (NPL) while those related to the Rubber Chemicals Division will be demerged and vested as a going concern in Polyolefines Rubber Chemicals Ltd. (PRCL). The plastic products division along with subsidiary companies and certain investments will remain with M/s NOCIL whose paid up equity capital will stand correspondingly reduced.

- ❖ Steps have been taken by M/s NOCIL to comply with M/s Shell's request for a trimmed work force and management during the Period of Investigation;

- ❖ Steps have been taken for seeking approval of the Scheme of De-Merger of the Petro-Chemical Unit during the Period of Investigation.

- ❖ A Team of Shell Managers is in the process of implementing the MoU and working of the Project itself.

- ❖ The petitioner has filed the present petition at the instance of M/s Shell Chemicals Ltd to impose Anti-Dumping Duty on import of IPA to keep out M/s Exxon from Indian market.

- ❖ The petitioner has intentionally concealed the material fact before the Authority to get an advantage of Anti-Dumping Duty.

- ❖ M/s NOCIL has filed an application in the Bombay High Court for the approval of above scheme.

- ❖ M/s NOCIL at the time of filing the petition has concealed deliberately the facts of said MoU before Designated Authority to get an advantage.

(ii) As the issue was very crucial, an oral hearing was held on 25th August, 2000 with all the interested parties only to discuss the relationship issue raised by M/s Exxon . The representatives of petitioner company, exporters and other interested parties participated in the oral hearing and presented their views and rejoinders subsequently. The Authority has solicited further clarifications/evidences from the petitioner as well as exporters to substantiate their submissions and rejoinders. M/s Exxon Limited has submitted the information required by the Directorate. The petitioner and M/s Shell Nederland did not submit the relevant papers before the Designated Authority. Letters were issued to petitioner company as on 04.10.2000 and subsequent reminders on 24.10.2000, 17.11.2000, 23.11.2000 and 24.11.2000 for the submission of all the relevant papers by 28th November 2000.

(iii) M/S. NOCIL vide there letter dt. 03.11.00 has provided only few papers as solicited by the Authority and has not provided the copy of the De-Merger petition filed in Bombay High Court for approval of De merger scheme. This document is most crucial document for establishing whether the petitioner is related to the exporter or not. In spite of repeated verbal and written requests, M/s NOCIL has not provided the same. Final opportunity had been given to petitioner for submission of the deficient information/papers along with a chance to comment on their letter dated 3rd November, 2000 wherein it stated that as on today MoU has expired and is not effective as of today. Hence the entire issue of alleged relationship between M/s Shell and M/s NOCIL brought out by other interested parties is irrelevant and deserves to be ignored. Along with the aforesaid letter M/s NOCIL did not provide the full information as solicited by the Designated Authority vide our earlier letters/reminders.

In view of aforesaid development and information submitted by M/s Exxon, M/s NOCIL was advised to submit an affidavit to the effect that MoU dated 30th September 1998 is no more in existence

(iv) The Authority has advised the petitioner to file all the papers/information in view of their statement made vide their letter dated 3rd November, 2000 which were very crucial to arrive at any findings vis-à-vis the relationship of the petitioner. Secondly, apart from this, the Designated Authority has also advised M/s NOCIL to file an affidavit that no shareholder agreement has been entered into and as such no MoU has been in existence as of today.

(v) M/s NOCIL has failed to furnish the additional Information vide their letter dated 24.11.2000 as solicited by the Designated Authority vide their earlier letters/reminders. However, M/s NOCIL once again reiterated that none of the documents solicited by the Designated Authority and the steps initiated by our company in relation to the said MoU are in any way relevant to the present investigation being carried out by the Authority.

(vi) M/s NOCIL further stated that the said MoU, the resolutions passed at the various meetings of Board of Directors and shareholders of the

company as well as the petition filed by the company in the High Court of Bombay are all concerning the future restructuring and extension of the petrochemical business, it is likely to occur not earlier than 4-5 years from now. They also stated that the present case has been initiated by the company in order to seek relief in respect of the existing business as carried out by the company which is suffering on account of exports by the respondents and hence the course of events which are likely to happen and which are contingent upon several conditions precedent do not bear any relevance to the present investigation.

(vii) They have again submitted that petitioner has not demerged its business and continue to function as a single entity. They have further stated that the future events (which are in any event contingent) cannot decide the status of the Domestic Industry in the investigation period. It is further stated that none of the Shell group of companies hold any share in the existing company nor do they exercise any management control over the existing company which is suffering on account of dumping of IPA.

(viii) M/s NOCIL has submitted that respondents are deliberately trying to misguide the Authority by bringing certain frivolous and irrelevant facts into this investigation in order to escape the order of anti dumping being imposed on them.

(ix) Finally they have stated that the above submissions dated 24.11.2000 are without prejudice to the earlier submissions made by them in their letter dated 11th September, 2000 and such other submissions which are not contrary to the submissions made herein.

(x) In view of non-cooperation from the petitioner, the Authority decided to hold a further hearing only on the 'relationship issue' with all the interested parties together giving petitioner a last chance to put forth all their information/ submissions . Accordingly, an oral hearing was held on 20th December, 2000 to discuss the relationship issue only. M/s NOCIL (Petitioner), M/s Exxon Chemicals and M/s Shell (Exporters), submitted their submissions and rejoinders. The salient features of the submissions and rejoinders are as under:-

4. **VIEWS OF M/S NOCIL (PETITIONER) ON RELATIONSHIP**

(i) Compliant filed by the petitioner is in respect of all imports made from the said three countries, irrespective of the identities of the exporters in question which itself establishes that M/s NOCIL is not related to M/s Shell.

(ii) The Authority before initiating this investigation had sufficient prima facie evidence regarding dumping and M/s Exxon is fully aware that if the present anti dumping investigation is proceeded with, the only possible conclusion can be imposition of having anti dumping duty on its exports to India. Hence, they are trying that present anti dumping inquiry be terminated at the threshold itself.

(iii) The Authority has been empowered to initiate investigation suo- moto under Rule 5 (4) of Anti Dumping Rules if it is satisfied that the information received from any authentic source that sufficient evidence exists as to existence of dumping and injury caused thereby. The identity of the person who brings these facts to the notice of the Authority is of no importance or consequence at all. Hence, the issue of locus standi of M/s NOCIL as petitioner becomes absolutely insignificant and immaterial.

The present case is in fact a far stronger one for initiating suo moto inquiry having regard to the voluminous and detailed materials, facts and figures already with the Authority. Hence, if the petitioner is found technically to be related to a foreign exporter in terms of Rule 2(b) the Authority, in its discretion may still regard the unit to be a Domestic Industry.

(iv) There is nothing in MoU which can possibly be considered to give M/s Shell control over M/s NOCIL. With the new de-merged entity, M/s Shell will have control over the new company only. They have submitted that the question of relationship within the meaning of Rule 2(b) should be considered having regard to the facts and circumstances in existence during the period of investigation and at the time when the petition was moved, not on the basis of facts and circumstances that came into existence long thereafter.

The MoU is also subject to various conditions/ precedents which have to be fulfilled before the MoU can be considered to become operative. The first and basic condition precedent is that the Bombay High Court should sanction the Scheme of Arrangement under Section 391 to 394 of the Companies Act, 1956. Apart from that a lot of approvals/permissions/consents etc. is to be taken from various government/regulatory authorities. At present all these conditions precedent mentioned have not yet been fulfilled.

(v) Board of Directors of both the companies of Royal Dutch/Shell Group has not yet granted their approvals.

(vi) The MoU has technically expired on 30.9.2000 and discussions are on. The allegation of M/s Exxon that there are two employees of M/s Shell Company in Bombay for the purpose of facilitating the implementation to de-merger schemes. These two employees are on the roll of M/s Shell and have absolutely no control over the management/operation of the M/s NOCIL. On contention of VRS M/s NOCIL has pointed out that said VRS was a management decision taken by M/s NOCIL on its own and certainly not at the behest of any third party or of the M/s Shell.

(vii) The best proof and the clearest indications of the fact that M/s NOCIL and M/s Shell are not related, is that M/s Shell has not been able to prevent M/s NOCIL from filing the anti dumping complaint against M/s Shell and further, M/s NOCIL has not been able to prevent M/s Shell of Singapore and M/s Shell of Nederlands from dumping the articles thereby causing injury to M/s NOCIL, nor has M/s NOCIL been able to prevent these companies from opposing the complaint.

(viii) M/s Exxon contention that M/s Shell is " legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the M/s NOCIL' is directly contrary to the provisions of Companies Act, 1956 under Section 291 of the Companies Act, the power of regulation/management/control of an Indian company is vested in its Board of Directors. In the present case, M/s Shell does not have any representation whatsoever on the Board of Directors nor does M/s Shell have any shareholder interests whatsoever in M/s NOCIL.

(ix) M/s Exxon contention that M/s NOCIL had taken several steps for implementation of the said MoU, it needs to be clearly understood that M/s NOCIL has entered into a contract with M/s Shell for demerger of its Petrochemical Division and transfer of the said division to a newly formed company. M/s NOCIL, as a party to the said contract was bound to take the requisite steps and actions for implementing and giving effect to the said contract.

(x) M/s Exxon's contention that the said MoU dated 30.9.98 had already been implemented. This assertion is not only false, but the same is directly contrary to and is falsified by the terms of the MoU and also the Scheme of the Arrangement, obviously make it patently clear that there are many conditions precedent which are yet to be fulfilled before the Scheme can be considered to become operative.

(xi) Strictly without prejudice to the above mentioned basic submissions that M/s NOCIL is not related to M/s Shell, it is submitted that, in the alternative and on the pure demurrer, that even if it is held that M/s NOCIL as a matter of fact, is related to M/s Shell, there is no warrant or justification at all for excluding M/s NOCIL from the Domestic Industry as rules are amended. M/s NOCIL has cited certain legal texts of anti dumping law along with the submissions.

(xii) M/s Exxon Counsel contended that all the extracts and judgements referred during hearing applied only to a case where there were several units in the Domestic Industry. In fact, all judgements are based only on the consideration of whether the presence of a "related party" would hinder the anti dumping inquiry in some manner or not, and are not in any way dependant on whether the Domestic Industry consists of one or more units.

(xiii) Various judgements show that the settled principle which has always been followed where dumping has taken place and caused some injury, "concerned authorities" have never

stopped the inquiry only on technical grounds that the complainant or the petitioner is related to the foreign exporter or importer of the dumped article. On the contrary, the consistent principle which has been followed in all these cases is that nothing should be allowed to come in the way of an anti dumping inquiry which is considered necessary.

(xiv) If on the ground of relationship the present investigation is terminated at this juncture itself, both M/s Shell and M/s Exxon will consequently continue to dump their goods in India, thereby causing immeasurable and continuing injury to Indian industry. Further, M/s NOCIL will be left with no remedy by way of appeal against any such findings given by the Hon'ble Designated Authority.

(xv) The MoU has been signed between M/s NOCIL and M/s Shell, UK. M/s Shell of Singapore and M/s Shell of Nederland, which have exported IPA to India are not parties to the said MoU. The fact that M/s Shell of Singapore and M/s Shell of Nederland are supposed to form part of same corporate group, is irrelevant and immaterial and, in this connection and if that be so, then the legal principle cannot be completely different for determining the existence of relationship. Rule 2(b) contemplates and requires a relationship between the Domestic Industry and exporter of the dumped articles.

(xvi) There is nothing in Rule 2(b) which leads to the conclusion that where a foreign exporter belongs to a certain corporate group, then, there is straightway a 'relationship' brought into existence between the Indian industry and only other companies which are part to the corporate group. Further, it would be contrary to the principles laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in the Haldor Topsoe case that "levy of anti dumping duty is exporter specific and the same has to be levied separately on the goods exported by each exporter who is found to have dumped goods in India".

(xvii) M/s NOCIL has further submitted that in the event of any relationship between M/s Shell and M/s NOCIL coming into existence in the future, the same can be effectively addressed

and dealt with by the provisions for review contained in Rule 23.

Accordingly, M/s NOCIL submitted that M/s Exxon's highly technical preliminary objection should be summarily rejected as it is intended only to thwart and terminate the present anti dumping inquiry which M/s Exxon is most anxious not to contest on merits.

5 **COMBINED SUBMISSION OF M/S SHELL NEDERLAND CHEMIE B.V (SNC), M/S SHELL INDIA PVT. LTD (SIPL) AND M/S SHELL EASTERN CHEMICALS (SINGAPORE) (SEC (S)**

(i) None of the respondents including SEC (S), a Division of Shell Eastern Trading Pvt. Ltd. (which is the only company exporting IPA to India since 1996) were and/or are at any point of time parties to the MoU/discussions in the proposed project with M/s NOCIL neither they have agreed to hold any equity stake in M/s NOCIL as alleged or at all.

(ii) The respondents have, however, upon enquiry, been informed that the said MoU expired on October 1, 2000 and no further MoU has been signed and/or is in existence between the parties concerned to the knowledge of the respondents.

(iii) MoU has been signed between M/s Shell Chemical (SCL) Ltd and M/s NOCIL which is not a respondent in the present petition. None of the respondents hold any share in the capital of SCL. Neither SCL is subsidiary and/or holding company of the respondent nor is SCL an exporter of IPA to India. Thus, there is no connection whatsoever between SCL and the Respondents in any manner.

(iv) The Respondents vehemently deny the allegation that the present petition has been filed by M/s NOCIL at the instance of the Respondents. It is also specifically denied that there is any attempt on the part of the Respondents to take any advantage of the process of Anti-Dumping Rules as alleged by M/s Exxon.

(v) Respondents once again deny the allegation of M/s Exxon that the direct result if the present petition were to be upheld would create a field for the Respondents to have the alleged monopoly in the Indian

market. Respondents herein repeat that if the present petition by M/s NOCIL is upheld duty may be levied on the Respondents too, who are party to the present petition. Thus, the allegations of M/s Exxon made earlier in its submissions are absolutely false, baseless and without any substance.

(vi) It is stated that the Respondents herein are not related to M/s NOCIL as alleged. The Respondents state that there is no entity by the name of M/s Shell Chemicals Ltd. Singapore exporting IPA to India as alleged. As stated, only SEC (S) has been exporting IPA from Singapore to India since 1996.

In the circumstances aforesaid, the Respondents once again respectfully submit and state that there is no alleged relationship between M/s NOCIL and the Respondents to the Petition.

6. **COMBINED SUBMISSION OF M/S EXXON CHEMICAL INTERNATIONAL SERVICES LTD., HONG KONG (ECIS) AND M/S EXXON MOBIL CHEMICAL COMPANY (EMCC)**

(i) Petitioner is not a "Domestic Industry" as defined under Section 2(b) of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as they are related to Exporter, mentioned in the Complaint and were themselves importer of the alleged product till 1993-1994.

(ii) Petitioner has no locus standi to file/maintain the present petition. As per the definition of Domestic Industry, an application for anti dumping investigation is required to be and can only be made by or on behalf of Domestic Industry, who is/are not related to the exporters or importers and is not an importer of the alleged product, themselves. Secondly the standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry has to be ascertained at the threshold as Designated Authority has already held this position in the case of Metallurgical Coke from China.

(ii) Rule 5(1) read with Section 2(b) and proviso of the Anti Dumping Rules, clearly reveals the fact that the petition can be filed only by or

			10. F.R.P. Rod (2 mm/ 3mm/1.5mm)	1.050 kgs
			11. Water Blocking RIP Cord/ Aramid RIP Cord (DTEX 1610/ 1680) Single/ 3Ply	0.720 kgs
			12. Hot Foil Marking Tape White/Black.	1.050 kms
B229	144 Fibre Unarmoured Optical Fibre Cable (Dia. 18.6mm±1mm)	1 km 265 kg/km ±5%	1. Single Mode Optical Fibre	151.20 kms
			2. Polybutylene Terpthalate(PBT)	49.780 kgs
			3. Polybutylene Terpthalate Master Batch	1.000 kgs
			4. Coluring Ink (U.V.)	1.520 kgs
			5. Thixotropic Jelly compound (Filling/ Flooding)	34.440 kgs
			6. Water Blocking Tape	60.900sq.mtrs
			7. High Density Polyethelene (H.D.P.E.)	147.190 kgs
			8. Aramid Yarn/ Aramid Filament Yarn (DTEX 3160/3220)	1.450 kgs
			9. Water Swellable Yarn	10.750 kgs
			10. F.R.P. Rod (2 mm/ 3mm/1.5mm)	1.050 kgs
			11. Water Blocking RIP Cord/ Aramid RIP Cord (DTEX 1610/ 1680) Single/ 3Ply	0.720 kgs
			12. Hot Foil Marking Tape White/Black.	1.050 kms
B230	96 Fibre Un-armoured Optical Fibre Cable (Dia.14.5mm±1mm)	1 km 164 kg/km ±5%	1. Single Mode Optical Fibre	100.8 kms
			2. Polybutylene Terpthalate(PBT)	33.190 kgs
			3. Polybutylene Terpthalate Master Batch	0.660 kgs

			4. Coluring Ink (U.V.)	1.010 kgs
			5. Thixotropic Jelly compound (Filling/ Flooding)	22.960 kgs
			6. Water Blocking Tape	44.100sq.mtrs
			7. High Density Polyethelene (H.D.P.E.)	77.810 kgs
			8. Aramid Yarn/ Aramid Filament Yarn (DTEX 3160/3220)	2.910 kgs
			9. Water Swellable Yarn	6.050 kgs
			10.F.R.P. Rod (2 mm/ 3mm/1.5mm)	1.050 kgs
			11.Water Blocking RIP Cord/ Aramid RIP Cord (DTEX 1610/ 1680) Single/ 3Ply	0.720 kgs
			12.Hot Foil Marking Tape White/Black.	1.050 kms

Annexure "D" to the
Public Notice No. 53
Dated: 01 /2/2001

ENGINEERING PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
C1583	Spring Casing for Pipe Line support	1 kg	1. MS Plate/Sheet	1.15 kg/kg content in the export product
C1584	Staples/Staples in Strips	1 kg	1. Galvanized Steel wire 1 mm to 2.1 mm dia	1.05 kg
			2. Synthetic Glue	0.026 kg
C1585	CNC/NC Hydraulic Shearing Machine	1 No.	1. Geared Motor	Net to Net
			2. Servo Motor	Net to Net
			3. Hydraulic Pump	Net to Net
			4. Controller for Shear	Net to Net
			5. Hydraulic Accumulator	Net to Net
			6. Encoder	Net to Net
			7. Linear Motion Bearing	Net to Net

			8. Servo Amplifier	Net to Net
			9. Ball Screw	Net to Net
			10.Nuts for Ball Screws	Net to Net
			11.Spherical Bearing	Net to Net
			12. Thread Spindle	Net to Net
			13. Timing Belt	Net to Net
			14. Bush PAP 50/40	Net to Net
			15. Timing Pulley	Net to Net
			16. Hydraulic Seals	Net to Net
Note:- The import items shall be allowed on net to net basis with accountability in the export product. The type, specifications (including part nos. if any) etc. of the components sought for import should conform to those utilized in the manufacture of the resultant product, which should be reflected in the export documents (shipping Bills) also.				

C1586	Iron Alloy Powder made from Sponge Iron of different composition	1 kg	1. High Grade Raw ground Sponge iron	1.12 kg/kg content in the export product
			2. Copper Powder	1 kg/kg content in the export product
			3. Carbon Ultra Fine	1 kg/kg content in the export product
			4. Zinc Stearate	1 kg/kg content in the export product
			5. Nickel Powder	1 kg/kg content in the export product
C1587	CNC Hydraulic Press Brake	1 No.	1. Geared Motor	Net to Net
			2. Servo Motor	Net to Net
			3. Hydraulic Pump	Net to Net
			4. Direction Control Valve	Net to Net
			5. Prop. Direction Control Valve	Net to Net
			6. Prop. Pressure control Valve	Net to Net

7. M/S. NOCIL'S REPLY TO WRITTEN SUBMISSIONS

(i) M/s Exxon's written submissions place strong reliance on several newspaper reports. It is submitted that newspaper reports, cannot, in law, be considered to be evidence in support of any statements/averments/contentions.

(ii) M/s NOCIL has not received any funds/monies whatsoever from M/s Shell/M/s Montell in any manner, arising out of or connected with the Scheme.

(iii) M/s Exxon's allegation that M/s NOCIL has not come before the Hon'ble Designated Authority with clean hands, is utterly baseless. The contention that at the time of filing the petition, M/s NOCIL has failed and omitted to disclose the nature of its relationship with M/s Shell is baseless as M/s NOCIL's basic submission and contention which it strongly maintains even now, is that neither in facts nor in law is M/s NOCIL at all related to M/s Shell of Singapore and M/s Shell of Nederlands - two exporting companies.

(iv) Even assuming without conceding that M/s NOCIL is related to M/s Shell of UK, it cannot possibly make M/s NOCIL related to M/s Shell of Singapore or M/s Shell of Nederland which are exporting companies and which are entirely separate and distinct corporate entities. The allegation of separation can be made against M/s NOCIL only if M/s NOCIL is in dispute of related to one or more of the exporting companies. Any allegation of dishonesty or want of bonafides cannot possible be made against M/s NOCIL, even if all its legal submissions and contentions are, for some reason, rejected.

(v) In the present case, the so called alleged relationship between M/s NOCIL and M/s Shell is not a fact as such but it is a highly contested legal position regarding which the correct position cannot be known until the matter is finally decided by the Hon'ble Supreme Court, as there is no Supreme Court judgement on the point which considers the relevant legal positions and the issues involved. Consequently it cannot possibly be contended that by not declaring itself to be related to M/s Shell, M/s NOCIL has suppressed any relevant or material facts, nor can it be possibly suggested that M/s NOCIL has at all

acted with any improper or collateral motives M/s NOCIL has pointed out and established that it had not only suffered great injury by reason of dumping of IPA in India by M/s Exxon as alleged M/s Shell of Singapore and M/s Nederland and as a consequence, M/s NOCIL has been forced to reduce its price resulting into a sizeable loss.

(vi) M/s Exxon is understandably most anxious to have the anti dumping enquiry terminated at the threshold because the materials which are already on the files of Hon'ble Designated Authority, would establish beyond a shadow of doubt that M/s Exxon has been engaged in dumping on large scale of IPA in India.

(vii) Without prejudice to M/s NOCIL's basic submission that it is not related to M/s Shell, it has also been M/s NOCIL's fundamental contention that even if M/s NOCIL is, for some reason, found to be related to M/s Shell of Singapore and M/s Shell of Nederlands, the exporting companies, even then, under the amended Rule 2(b), the Hon'ble Designated Authority has complete unfettered discretion not to exclude M/s NOCIL from the Domestic Industry for the purpose of anti dumping enquiry.

(viii) M/s Exxon's submission to disregard the judgements and case laws and the extracts relied upon by M/s NOCIL from USA, EU and New Zealand, are dealt with only the cases where there was more than one Domestic Industry and that none of these cases deals with a situation where there was only one Domestic Industry as in the present case. The basic logic and reasoning which was variably relied upon to exercise direction in favour and not to exclude the related domestic producers, was that it would not in any manner destroy or hamper or hinder the anti dumping enquiry.

(ix) The two cases referred by M/s Exxon where Designated Authority has taken a decision to exclude the Domestic Industry found related to exporter is matter related to the period prior to amendment of Rule 2(b) when the Designated Authority did not have a discretion at all

8. **REJOINDER SUBMITTED BY M/S EXXON**

(i) The relationship between M/s NOCIL and M/s Shell, which now has acquired significant commercial proposition, is admittedly for the

C1591	Aerosol Valve	1 No.	1. Actuator/Spray Cap 2. Body 3. Stem 4. Inner Gasket 5. Outer Gasket 6. Mounting Cup 7. Polyethylene Granules	1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1.05 kg/kg content in the export product
Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.				
C1592	Disc Wheel Flat Base Rim	1 No.	1. Flange 2. Lock Ring 3. Valve Guard 4. Rubber Sealing Ring 5. Locking Clip 6. Safety Pin 7. Lock Pin	1 No. 1 No. 2 Nos. 1 No. 1 No. 1 No. 2 Nos.
Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.				

Annexure "E" to the
Public Notice No. 53
Dated: 01/02/2001

FOOD PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
E94	Pan Masala Gutka	1 kg	1. Betal Nut 2. Catechu 3. Natural Essential Oil viz. Sandal Wood Oil, Geranium Oil, Mint Oil, Vetiver Oil, Patcholi Oil, Rose/Kewra Oil	680 gms 90 gms 15 gms

			4. Saffron	1 gm per kg of export product
			5. Cardamom	15 gms
			6. LDPE Granules	As per packing policy

Annexure "F" to the
Public Notice No. 53
Dated: 01/02/2001

PLASTIC PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
H436	Non - Pyrogenic Non – Toxic Sterilized Single/Double/ Triple Blood Bag 450 Ml with anti coagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution	1 No.	1. Relevant PVC Film (Frosted/ TOTM)	1.05 sq.mtr /sq.mtr content in the export product
			2. Relevant PVC Tubings	1.05 mm content in the export product
			3. Multi Layer Film	1.05 sq.mtr/sq.mtr. content in the export product
			4. Hot Stamping Foil	1.03 sq.mtr./sq.mtr content in the export product
			5. Twist of Ports/ Snap of Ports/ Y-Site	1.03 Nos./1 No. in the export product
			6. Needle (16 gauge)	1.03 Nos/1 No. content in the export product
			7. Dextrose (Monohydrate)	Net +2% wastage
			8. Craft paper	As per Packing Policy

control such de-merged Petro-chemical arm. The test for determination of 'related services' has been held to be following principles.-

i one has operational control over other;
ii when both of them together control a third entity; and
iii when both of them together controlled by a third party

In any event the principle laid down in (ii) above are clearly applicable as the de-merged arm will be controlled by both of the entities namely M/s NOCIL as well as M/s Shell. Therefore, in any event M/s NOCIL being a related party is liable to be excluded from the purview of Domestic Industry.

(viii) It is highly illogical for M/s NOCIL to put forth the argument that it has, as under the circumstances scheme of de-merger pursuant to MoU dated 30.9.98 has already been formulated and filed with the High Court of Mumbai, MoU has substantially and commercially been acted upon and thereby has acquired legal status of a contract, the consideration for which will be in the form of M/s Shell acquiring stake in the de-merged entity.

(ix) It is respectfully submitted the fact that two employees of M/s Shell currently working with and for M/s NOCIL are on the pay roll of M/s Shell itself clearly establishes the profound commercial relationship between M/s Shell and M/s NOCIL. As stated hereinbefore the said two employees while supervising the implementation of the MoU dated 30.9.98 and the claim formulated thereunder, exercise significant operational and other control over the affairs of M/s NOCIL. Assuming for the sake of argument that the arguments of M/s NOCIL that the MoU is still in cubation stage and requires numerous conditions proceeded to become operative it is left to become imagination as to the purpose of the said two M/s Shell employees being placed with M/s NOCIL for a significant period of time now.

(x) It is submitted that the anti dumping investigations as also admitted by M/s NOCIL in the written submission, being country specific and not exporters specific the aforesaid M/s Shell entities cannot have been, in any event, excluded from the purview of the present investigation. The attempt of M/s NOCIL, therefore, is akin to making virtue out of necessity.

(xi) Press Reports dated December 28, 2000, the conditions precedent for the scheme to become operative have already been obtained and only the permission of High Court of Bombay is awaited. It is, therefore, self-contradictory for M/s NOCIL to say on the one hand that the Scheme shall become operative only on grant of approvals/permissions forming conditions precedent and on the other hand state it to the Public through Press Reports that all the Government approvals have already been obtained. It is, therefore, but a technical objection raised by M/s NOCIL and should be set aside at the very outset.

(xii) While it is true that a company is managed by its Board of Directors, it may not be controlled solely by the Board of Directors. It is further submitted that M/s NOCIL has not put forth any evidence to support its contention that it has no representation from M/s Shell on its Board of Directors. From the aforestated and the significant commercial relationship shared by M/s Shell and M/s NOCIL, it is established beyond doubt that M/s Shell is in a position to exercise restraint and direction over the affairs of M/s NOCIL. It is further clear from the statements of Mr. Hrishikesh Mafatlal that all approvals in terms of what is agreed to by M/s Shell have been obtained.

(xiii) It may be stated that M/s NOCIL had initially denied that there was any relationship whatsoever with M/s Shell. However, in complete contradiction to its own submissions, as per contents of the para under reply, it has been admitted that M/s NOCIL has entered into a contract with M/s Shell and the two share a

legally binding relationship. As an established position of law, no contract can be legally binding without a valid consideration. It is submitted that the consideration for the contract has been in the from of M/s Shell investing huge amounts of capital into M/s NOCIL. In this behalf, previous submissions and Press Reports filed on behalf of our client are reiterated.

(xiv) M/s NOCIL, by averring that it would be left with no right of appeal cannot be allowed to gain locus standi for the purposes of present investigations.

(xv) A brief perusal of the corporate structure as has been submitted hereinbefore, establishes a single monolithic corporate structure thereby all the M/s Shell entities are owned, regulated and controlled by the Group holding companies. In the circumstances, therefore, it is illogical for M/s NOCIL to contend that the Shell entities with which it has entered into MoU, and the Shell entities which are allegedly dumping the product under investigation, are different.

C. **EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED**

4. The submissions made by the exporters, importers, petitioner and other interested parties have been examined and issues raised with reference to the Rules and having a bearing on this case have been considered and dealt with at appropriate place in the notification.

5. The question that arises for consideration of the Authority is whether it can be said that there exists a relationship between M/s NOCIL (petitioner) and the exporter M/s SHELL and if there exists such a relationship, whether the Authority should exercise his discretion to exclude M/s NOCIL from the purview of the Domestic Industry. For determining this principle of relationship of Domestic Industry, the Authority has also to consider whether M/s NOCIL has concealed the fact of the alleged relationship from the Authority at the stage of filing the petition and / or in the course of the investigation and whether disclosure of such information is material to exercise the discretion by the Authority.

6. In terms of Rule 5 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 the petition for investigation and imposition of anti dumping duty can be filed only by the Domestic Industry.

Domestic Industry has been defined in Rule 2(b) as amended in July, 1999 as follows:-

"Domestic Industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the Like Article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of Domestic Industry."

Following the amendment of Section 2(b), the explanation has been added to the Section which reads as under:

"**Explanation**, - For the purposes of this clause, -

(i) Producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if, -

(a) one of them directly or indirectly controls the other; or

(b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or

(c) together they directly or indirectly control a third person, subject to the condition that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers.

(ii) A producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter."

7. As per Rule 5(3) (a), the Designated Authority is required to determine, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry. This is a threshold requirement as held by the Designated Authority in its decision dated 27.08.1998 in investigations in respect of imports of Metallurgical Coke from China. If the petition has not been filed by Domestic Industry as defined under Rule 2(b), no initiation can take place.

8. M/s. Exxon's contention in the present case is that the sole producer of the product under investigation is related to one of the exporters and, therefore, do not qualify as Domestic Industry. In order to determine whether the domestic producer is related to the exporter, reference needs to be made to the Explanation to Rule 2(b). M/s. Exxon's case is that M/s SHELL is operationally in a position to exercise restraint or direction over M/s NOCIL.

9. On the basis of the submissions made and the documents available on records, the Authority is of the view that M/s NOCIL and M/s SHELL are related:-

(i) Admittedly M/s NOCIL has entered into a Memorandum of Understanding or a contract with M/s SHELL pursuant to which it is demerging its petro-chemical division and transferring the said division to a newly formed company in which M/s SHELL will invest 49%. It has been brought to the notice of the Authority that M/s SHELL is now proposing to invest in fact 74% equity in the new company.

(ii) It is admitted by M/s NOCIL that as a party to the contract it was bound to take the requisite steps and actions for implementing and giving effect to the said contract.

(iii) The Board of Directors and the shareholders of M/s NOCIL have approved the Scheme of Demerger and the Scheme is now pending before the Bombay High Court for sanction.

(iv) It is not disputed by M/s NOCIL that officials of M/s SHELL are currently posted with M/s NOCIL and are supervising the implementation of the MoU and the completion of the project. Various government approvals and environmental clearances have been obtained.

(v) Two VRS Schemes have also been implemented by M/s NOCIL to trim its work force as suggested by M/s SHELL.

(vi) The Authority is, therefore, of the opinion that parties have taken requisite steps and actions for implementing and giving effect to the said MoU, several of these actions having taken place during the period of investigation.

(vii) M/s SHELL has disputed the contention of M/s Exxon that the MOU stands implemented in as much as there are several conditions precedent, which are yet to be fulfilled before the scheme can be considered to be operative. Even though some conditions precedent may have yet to be fulfilled, it has not been disputed by M/s NOCIL that the MoU has been and is being implemented by the parties.

(viii) From the statements made by Management of M/s NOCIL and representatives of M/s SHELL it is clear that M/s SHELL is in a position to directly or indirectly operationally exercise restraint or direction over M/s NOCIL and it is, therefore, not relevant that M/s SHELL does not have any equity in M/s NOCIL or does not have any representative on the Board of Directors of M/s NOCIL.

(ix) The submission of M/s SHELL that the MoU has been signed with M/s SHELL, UK whilst the exporters are M/s SHELL, Netherlands and M/s SHELL, Singapore, who are different entities and, therefore, there cannot be any relationship between M/s NOCIL and M/s SHELL, is not correct. M/s Exxon has placed sufficient evidence before the Authority which indicates that the entire SHELL group of companies are controlled by two parent companies and two group holding companies and the management of M/s SHELL companies

report to the same group holding companies. It is also to be noted that almost all multi-national corporations undertake manufacturing activities and investment activities through different companies which are ultimately managed and controlled by the same set of parent companies. So is the case with M/s SHELL. M/s SHELL, UK may be the investing arm of M/s SHELL group of companies whilst M/s SHELL, Netherlands and M/s SHELL Singapore may be the manufacturing arms but they all report to the same group holding companies. The final distinction sought to be made between M/s SHELL, UK and M/s SHELL, Netherlands and M/s SHELL, Singapore is unsustainable as when the veil is lifted it is clear that all these entities are controlled by the same group holding companies who determine the business and policy direction of the M/s SHELL group.

(x) Having come to the conclusion that M/s NOCIL and M/s SHELL are related persons within the meaning of the Rules, it is still necessary to decide whether the Authority should exercise its discretion to exclude M/s NOCIL as Domestic Industry as such exclusion is no longer an automatic or mandatory after the amendment to the Rules in July, 1999.

(xi) The Authority is of the opinion that in the facts and circumstances of the present case it is necessary to exclude M/s NOCIL as Domestic Industry:-

i) Domestic Industry has withheld material facts. The determination of what comprises Domestic Industry is relevant for:-

a. determining whether the petition as filed is maintainable. Has it been filed by or on behalf of the Domestic Industry; and

b. if it has been so filed, is there any injury to the Domestic Industry;

(ii) It is for this purpose, to arrive at a prima-facie finding for the purpose of initiation of the investigation, that the format

prescribed by the Designated Authority in which a petition for investigation should be filed seeks at Question 6 (a) and (b) the following information:-

a) Do any of the petitioner(s) import the subject goods. If yes, please provide details of country-wise volume and value of imports during the last two years and in the current year to date.

b) Are any of the petitioners related to the exporters or importers of the alleged dumped article. If so, the nature of such relationship.

(iii) In the present case the petitioner has not responded to the above question. It is incumbent upon the petitioner company to disclose the nature of the relationship it has with any of the exporters and give a full explanation as to why it did not consider such a relationship as prohibiting the maintenance of the petition. This disclosure not having been made, it can be said that the petitioner has withheld material facts which have a direct bearing on the initiation of the investigation itself from the Authority.

iv) As the petitioner has not disclosed the relationship and relevant facts in their anti dumping petition which were well within their knowledge, they are not entitled to the exercise of discretion by the Authority in their favour.

Secondly, even after the issue of the relationship has been raised by M/s. Exxon, the petitioner has not come forth with full and correct disclosure of facts even though the same have been sought for by the Authority vide its several letters. In fact a copy of the entire petition filed in the Bombay High Court for demerger, which is a critical document, has not been furnished by the petitioner till date. Only a copy of the scheme has been filed by M/s Exxon. Various clarifications and documents as solicited by the Authority have also not been furnished by the petitioner.

(v) Further at one stage in the course of investigation the petitioner has written that the MoU has expired and is not effective as of today. The Authority's queries with regard to this statement, as contained in Directorate letter dated 17.11.2000, has not been answered. It is to be noted that soon after such a statement was made to the Authority on 3.11.2000, M/s SHELL's representatives have reaffirmed their investment in the new company upto 49% equity through M/s BASELL (a joint venture between M/s SHELL and M/s BASF). M/s SHELL's representatives have stated that M/s SHELL is still keen on the project and expects the formalities to be completed shortly.

(vi) Thereafter at the oral hearing held on 20.12.2000, petitioner has changed their stand stating that the MoU has technically expired as on 30.9.2000 and discussions are on. M/s. Exxon has also brought to the notice of the Authority that M/s SHELL is now proposing to take a majority stake of 76% in the new company. This fact was not disclosed by the petitioner to the Authority at any stage. The company should have been frank and truthful in the first instance and disclosed on 3rd November, 2000 itself that discussions were going on for increase in equity holding by M/s SHELL. Instead they have stated that the MoU has expired and is not effective as of today.

(vii) The second example of misrepresentation by the petitioner is that in their first submission dated 4.9.2000 it has stated that "M/s NOCIL has entered into an MoU with M/s SHELL and M/s MONTELL..... it is evident from the MoU that it is just an understanding only", but in their submission dated 26.12.2000 it has mentioned "M/s NOCIL has entered into a contract with M/s SHELL for demerger for its Petro Chemical Division (PCD) and transfer of the said division to a newly formed company. M/s NOCIL, as a party to the said contract, was bound to take the requisite steps and actions for implementing and giving effect to the said contract. Earlier M/s NOCIL contended that it did not have a binding relationship with M/s SHELL whilst in the second submission it states that it has a binding contract with M/s SHELL and was bound to take necessary steps to implement it.

(viii) The Authority is of the view that in view of the changing stands and less than frank disclosures by the petitioner at the time of the filing of the petition and during the course of investigation, the petitioner is not entitled to the exercise of any discretion by the Designated Authority in its favour.

(ix) Relying on Article 4.1 of the Agreement for Implementation of Article-VI, that when producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped products the term "Domestic Industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers, it has been contended by the petitioner that the Authority should exercise discretion to prevent a company from opposing a petition in case the company opposing is found to be related to the exporter and proceed with the investigation after such exclusion, the present case since the petitioner has not got any benefit from dumping, M/s NOCIL should not be excluded from the definition of Domestic Industry. It is no doubt true that in several decisions the European Commission has not excluded domestic producers who are related to the exporters from the computation/definition of Domestic Industry or whilst excluding such producers have proceeded with the investigation on the basis of the Domestic Industry comprising of the rest of the producers, but the present case is different from those cases in as much as there is only one domestic producer which constitutes the Domestic Industry and if this domestic producer is to be excluded in determining what constitutes the Domestic Industry, then, there is no question of proceeding ahead with the investigation as there is no other producer/Domestic Industry in respect of which any injury determination can be done. Various decisions and reference books cited by the petitioner in support of their submission are, therefore, not helpful. As stated by the European Commission in the Micro disc's case 1993 OJL 262/4 and 1994 OJL 68/8 the rationale of [former] Article 4(5).....is..... that, for the determination of injury, it should not be open to producers found to be related to exporters to seek relief from unfair trading practices, since they may, through this relationship, have participated in, or benefited from, injurious dumping. It is only by excluding such producers, where appropriate, that

the Community institutions can obtain an undistorted and objective view of the effects of the dumped imports. Were this not the case, then in addition to contributing to the injury, producers related to exporters of otherwise benefiting from dumping would be in a position to hinder complainant community producers in their attempts, or even block such attempts, to seek legitimate relief against the injury caused by dumped imports."

(x) It is the contention of the petitioner that a producer who is related to an exporter should be excluded from the scope of the Domestic Industry in case the injury assessment would get distorted, however, in case the Authority can conduct an objective injury assessment after excluding such companies who are themselves related to the exporter, such company should be included in the scope of the Domestic Industry. The Authority is of the view that no injury determination is possible in the in the absence of any other domestic producers other than M/s NOCIL and consequently once M/s NOCIL is excluded it would not be possible for the Authority to continue with the investigation proceedings.

(xi) It has been contended by the petitioner and the exporters that even if M/s NOCIL were not included as Domestic Industry, the Authority should initiate suo-moto investigation. Once M/s NOCIL is excluded as being related to the exporter, there being no Domestic Industry in respect of which determination of injury can be done, it is not open to the Authority to initiate suo-moto investigation.

D. CONCLUSIONS:

10. After considering the foregoing the Authority concludes that:

i) the petitioner M/s NOCIL is related to the exporter M/s SHELL;

ii) the existence of the relationship is a material and a relevant fact for the purposes of determining the maintainability of the petition and the determination of injury even at the prima facie stage;

iii) this critical information even though it was within the knowledge of the petitioner has been withheld from the Authority and even in the course of investigation less than frank disclosures have been made to the Authority;

iv) M/s NOCIL cannot therefore be treated as Domestic Industry under Rule 2(b) of Anti Dumping Rules.

v) Under Rule 14 (b) supra, it is not possible to determine injury to the Domestic Industry, if the only producer is excluded from the purview of the Domestic Industry, the investigation cannot continue and, therefore, stands terminated.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.